Wednesday, 01 April, 1964

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd LOK SABHA DEBATES

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

तृतीय माला

Third Series

खण्ड २८, १९६४/१८८६ (शक)

Volume XXVIII, 1964/1886 (Saka)

[२१ मार्च से २ अप्रैल, १९६४/१ चैत्र से १३ चैत्र, १८८६ (शक)]

[March 21 to April 2, 1964/Chaitra 1 to 13, 1886 (Saka)]

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

सातवां सत्र, १९६४/१८८५-८६ (शक)

Seventh Session, 1964/1885-86 (Saka)

(खण्ड २८ में अंक ३१ से ४० तक हैं)

(Vol. XXVIII contains Nos. 31 to 40)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SHABA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय-सूची

अंक ३९—बुधवार, १ अप्रैल, १९६४/१२ चैत्र, १८८६ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३०१७—४०
***तारांकित**		
प्रश्न संख्या		
८३८	कास्टिक सोडा	३०१७—१९
८३९	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग . . .	३०१९—२१
८४०	मिजो नेशनल फ्रंट	३०२१—२३
८४१	शिक्षा संस्थाओं में राजनीति	३०२४—२८
८४२	विवेकानन्द शताब्दी समारोह पंडाल . . .	३०२८—२९
८४४	तेलशोधक कारखाने सम्बन्धी करार . . .	३०२९—३०
८४५	वैज्ञानिकों का "पूल"	३०३०—३१
८५७	विदेशों में भारतीय वैज्ञानिक . . .	३०३१—३४
८४६	मद्रास में औद्योगिक कम्पलैक्स . . .	३०३४
८४७	सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी का मामला . .	३०३५—३७
८४८	आसाम में सुरक्षा समस्या	३०३७—४०
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३०४०—६७
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
८४३	प्रादेशिक भाषाओं में पुस्तकें	३०४०—४१
८४९	कलकत्ते में दंगों के बारे में "दीन-दुनियां" में लेख . .	३०४१
८५०	ईसाई पादरी	३०४१—४२
८५१	मेथानोल संयंत्र के लिए ऋण . . .	३०४२
८५२	पाकिस्तानी आप्रव्रजकों द्वारा आदिम जातियों की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करना	३०४२
८५३	समान माध्यमिक शिक्षा	३०४३
८५४	विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता . . .	३०४३—४४
८५५	पेट्रो-कैमिकल्स उद्योग 'कम्पलैक्स" . . .	३०४४
८५६	प्राशासनिक सुधार विभाग . . .	३०४४—४५
८५८	शिक्षा सम्बन्धी जांच आयोग	३०४५
८५९	ईंधन के लिए गैस . . .	३०४५
८६०	अध्यापकों के लिए डाक द्वारा शिक्षा . .	३०४६
८६१	पेट्रोलियम उत्पाद मूल्य ढांचा पुनर्विलोकन समिति	३०४६
८६२	भ्रष्टाचार	३०४६—४७

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

COTENTS

No. 39—Wednesday, April 1, 1964/Chaitra 12, 1886 (Saka)

	Subject	Pages
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—		3017—40
*Starred Question Nos.		
838	Caustic Soda	3017—19
839	University Grants Commission	3019—21
840	Nizo National Front	3021—23
841	Politics in Educational Institutions	3024—28
842	Vivekananda Centenary Clelebrations Pandal	3028-29
844	Refinery Agreement	3029-30
845	Scientists' Pool	3030-31
857	Indian Scientists Abroad	3031—34
846	Industrial Complex in Madras	3034
847	Serajuddin & Co. Affairs	3035—37
848	Security Problem in Assam	3037—40
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—		3040—67
*Starred Question Nos.		
843	Books in Regional Languages	3040-41
849	Article in "Din Dunia" about Calcutta Disturbances	3041
850	Christian Missionaries	3041-42
851	Loan for Methanol Plant	3042
852	Forcible Occupation of Tribal Land by Pak. Migrants	3042
853	Uniform Secondary Education	3043
854	Students Indiscipline	3043-44
855	Petro-Chemical Complexes	3044
856	Department of Administrative Reforms	3044-45
858	Enquiry Commission on Education	3045
859	Gas for Fuel	3045
860	Correspondence Course for Teachers	3046
861	Committee to Review the Price Structure of Petroleum Products	3046
862	Corruption	3046-47

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
१७३२	जूनियर टैक्निकल स्कूल	३०४७
१७३३	उड़ीसा हाई कोर्ट	३०४७
१७३४	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आमि जातियों के लिए होस्टल	३०४७
१७३५	उड़ीसा में योग्यता—तथा-साधन छात्रवृत्तियां	३०४८–४९
१७३६	विदेशों में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्तियां	३०४९–३०५०
१७३७	मिनापुर जिले की जनगणना	३०५०
१७३८	गरीबों का कल्याण	३०५०
१७३९	उच्च विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बदलना	३०५१
१७४०	भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशें	३०५१
१७४१	उर्वरक निगम द्वारा सर्वेक्षण	३०५२
१७४२	बिहार में तेल के लिए खुदाई	३०५२
१७४३	शिक्षा संस्थाओं को सहायता	३०५३
१७४४	नीलकंठ शिखर पर चढ़ाई	३०५३
१७४५	अनैतिक पण्य दमन अधिनियम	३०५३
१७४६	सेकेण्डरी स्कूलों के प्रिंसिपलों की गोष्ठी	३०५४
१७४७	पश्चिम बंगाल में तेल और गैस की खोज	३०५४—५५
१७४८	झूठा विज्ञापन	३०५५
१७४९	पांडुलिपि क्रय समिति	३०५५
१७५०	इलाहाबाद के पास ग्रामीण संस्था	३०५६
१७५१	पत्तन पदाधिकारी, नानकोरी	३०५६
१७५३	भारतीय भाषाओं के समानार्थक शब्दों का संकलन	३०५६—५७
१७५४	शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यालयों के नाम	३०५७
१७५५	नये कार्यालयों तथा संगठनों के नाम	३०५७
१७५६	कराई करनोल परियोजना क्षेत्र में खोज	३०५७
१७५७	अधिकारियों का केन्द्रीय "पूल"	३०५८
१७५८	मद्रास में तेल शोधक कारखाना	३०५८
१७५९	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्	३०५८–५९
१७६०	हिन्दी टाइपराइटरों के लिए कुंजी पटल	३०५९
१७६१	अखिल भारतीय सेवाओं की परिक्षायें	३०६०
१७६२	संघ राज्य क्षेत्रों में आत्महत्यायें	३०६०
१७६३	पाठ्य पुस्तकों में आसाम चीन का भाग	३०६०–६१
१७६४	मद्रास को संगीत नाटक अकादमी को अनुदान	३०६१
१७६५	व्यावहारिक मानव विज्ञान का अध्ययन	३०६१–६२
१७६६	नाइट्रोजन उर्वरक के मूल्य	३०६२
१७६७	पंजाब में जूनियर–टेक्निकल स्कूल	३०६२

Unstarred Question Nos.	Subject	Pages
1732	Junior Technical Schools	3047
1733	Orissa High Court	3047
1734	Hostels for S.C. and S.T. in Orissa	3047
1735	Merit-cum-Means scholarships in Orissa	3048-49
1736	Scholarships for Studies Abroad	3049-50
1737	Census for Midnapur District	3050
1738	Welfare of Weaker Sections	3050
1739	Conversion of High Schools into Higher Secondary Schools	3051
1740	Recommendations of Commission on Linguistic Minorities	3051
1741	Survey by Fertilizer Corporation	3052
1742	Oil Drilling in Bihar	3052
1743	Aid to Educational Institutions	3053
1744	Expedition to Neelkanth Peak	3053
1745	Suppression of Immoral Traffic Act	3053
1746	Seminar of Principals of Secondary Schools	3054
1747	Exploration of Oil and Gas in West Bengal	3054-55
1748	Bogus Advertisement	3055
1749	Manuscripts Purchase Committee	3055
1750	Rural Institute near Allahabad	3056
1751	Port Officer, Nancowrie	3056
1753	Compilation of Equivalents of Indian Languages	3056-57
1754	Nomenclature of Offices under the Ministry of Education	3057
1755	Names of New Offices and Organisations	3057
1756	Exploration of Karai Kanol Project Area	3057
1757	Central Pool of Officers	3058
1758	Oil Refinery in Madras	3058
1759	C.S.I.R.	3058-59
1760	Key-board for Hindi Typewriters	3059
1761	All India Services Examinations	3060
1762	Suicides in Union Territories	3060
1763	"Assam a part of China in Text Books"	3060-61
1764	Sangeet Natak Akademi Grant to Madras	3061
1765	Study of Applied Anthropology	3061-62
1766	Prices of Nitrogenous Fertilizers	3062
1767	Junior Technical Schools in Punjab	3062

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१७६८	हरिजनों के लिए मकान	३०६३
१७६९	भारतीय आर्थिक सेवा	३०६३
१७७०	पंजाब में युवक होस्टल	३०६४
१७७२	ई० एन० आई० के प्रेजीडेंट का भारत का दौरा	३०६४
१७७३	गन्दी गैस का साफ किया जाना	३०६४
१७७४	अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन का भारतीय स्कूल	३०६५
१७७५	अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी	३०६५–६६
१७७६	दिल्ली में लार्ड इर्विन की मूर्ति	३०६६
१७७७	दिल्ली में शिक्षा-निदेशक	३०६६
१७७८	संसद्-भवन के निकट सार्वजनिक प्रदर्शन	३०६६–६७
१७७९	राज्यों में सतर्कता निकाय	३०६७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

शेख अब्दुल्ला की रिहाई	३०६८–७१
श्री जसवन्त मेहता	३०६८
श्री लाल बहादुर शास्त्री	३०६८–७१

सभा पटल पर रखा गया पत्र	३०७१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

उन्तालीसवां तिवेदन	३०७१
मंत्री द्वारा वक्तव्य	३०७२
श्री अ० कु० सेन	३०७२

समिति के लिये निर्वाचन

अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद्	३०७२–७३
अनुदानों की मांगें	३०७३–९४
सम्भरण तथा प्रविधिक विकास विभाग	३०७३–८६
श्री वारियर	३०७३–७५
श्री यु० सिं० चौधरी	३०७५
श्री लीलाधर कटकी	३०७६
श्री दी० चं० शर्मा	३०७६–७७
श्री मोहन स्वरूप	३०७७–७८

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Unstarred Question Nos.	Subject	Pages
1768	Houses for Harijans	3063
1769	Indian Economic Service	3063
1770	Youth Hostels in Punjab	3064
1772	E.N.I. President's Visit to India	3064
1773	Purification of Raw Gas	3064
1774	Indian School of International Studies	3065
1775	All India Service Officers	3065—66
1776	Statue of Lord Irwin in Delhi	3066
1777	Directors of Education in Delhi	3066
1778	Public Demonstration near Parliament House	3066—67
1779	Vigilance Bodies in States	3067
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance		3068—71
Release of Sheikh Abdullah		3068—71
Shri Jashwant Mehta		3068
Shri Lal Bahadur Shastri		3068—71
Paper laid on the Table		3071
Committee on Private Members' Bill and Resolutions		
Thirty-ninth Report		3071
Statement by Minister		3072
Shri A. K. Sen		3072
Election to Committee		3072—73
All-India Council for Tech nical Education		3072—73
Demands for Grants		3073—94
Department of Supply and Technical Development		3073—86
Shri Warior		3073—75
Shri Y. S. Chaudhary		3075
Shri Liladhar Kotoki		3076
Shri D. C. Sharma		3076—77
Shri Mohan Swarup		3077—78

अनुदानों की मांगें—जारी

सम्भरण तथा प्रविधिक विकास विभाग—जारी

श्री जगन्नाथ राव . . ३०७८–८१

श्री स० मो० बनर्जी . . . ३०८१–८२

श्री श्यामलाल सर्राफ . . . ३०८२–८३

श्री हाथी ३०८३–८५

श्री हजरनवीस ३०८५–८६

स्वास्थ्य मंत्रालय ३०८७–९४

डा० सारदीश राय ३०८८–९०

डा० च० भा० सिंह . . . ३०९०–क–ख

श्री रामेश्वरानन्द ३०९०–ख

श्री मोहन नायक ३०९१

श्री दे० शि० पाटिल ३०९१–९२

Subject	Pages
Demands for Grants—*Contd.*	
Department of Supply and Technical Development—*Contd.*	
Shri Jaganatha Rao	3078—81
Shri S. M. Banerjee	3081—82
Shri Sham Lal Saraf	3082—83
Shri Hathi	3083—85
Shri Hajarnavis	3085—86
Ministry of Health	3087—94
Dr. Saradish Roy	3088—90
Shri Chandrabhan Singh	3090—A-B
Shri Rameshwaranand	3090—B
Shri Mohan Nayak	1093
Shri D. S. Patil	3091—92

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, १ अप्रैल, १९६४ / १२ चैत्र, १८८६ (शक)

Wednesday, April 1, 1964/Chaitra 12, 1886 (Saka)

लोक–सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान्, मंत्रियों के स्थान खाली पड़े हैं। यह अच्छी बात नहीं है । हमारी आपसे यह प्रार्थना है कि आप यह निदेश दें कि उन में से कुछ मंत्री अवश्य उपस्थित रहें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से सहमत हूं। यह अच्छा नहीं लगता है। प्रश्न।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कास्टिक सोडा

\+

*८३८. **श्री वारियर :**
श्री दाजी :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दिसम्बर में मूल्य पर से नियंत्रण हटा लिये जाने के बाद कास्टिक सोडा के मूल्य बढ़ गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). तीन महीने पहिले विनियंत्रण किये जाने के बाद से कास्टिक सोडे की समस्त श्रेणियों के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है । मूल्यों की प्रवृत्ति पर कुछ समय तक नजर रखी जायेगी।

श्री वारियर : क्या सरकार ने इस हेतु कोई कदम उठाये हैं कि उपभोक्ताओं के लिये मूल्यों में बिल्कुल भी वृद्धि न हो अथवा क्या वास्तविक उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर इसका संभरण करने के लिये कोई प्रबन्ध किये गये हैं ?

श्री अलगेशन : क्षारीय पदार्थों के निर्माता विनियंत्रण किये जाने से पहिले से ही यह कहते आ रहे हैं कि नियंत्रण मूल्यों में ८० रु० से ले कर १०० रु० प्रति टन तक वृद्धि की जाय। विनियंत्रण के बाद उन्होंने यह निर्णय किया कि ८० रु० प्रति टन से अधिक वृद्धि नहीं होनी चाहिये और कास्टिक सोडा इस मूल्य तक ही बेचा जाना चाहिये।

श्री वारियर : क्या यह वृद्धि उचित थी और क्या मंत्रालय ने इस बारे में कोई जांच की है ?

श्री अलगेशन : उनका यह विचार है कि कच्चे माल तथा ईंधन के मूल्य तथा राजकोषीय चुंगी, नौवहन, रेल भाड़ा तथा श्रम लागत में वृद्धि हो जाने के कारण मूल्यों में की गई वृद्धि उचित है। प्रशुल्क आयोग ने १९६० में इस बारे में जांच की थी और १९६० से ले कर दिसम्बर, १९६३ में विनियंत्रण किये जाने तक वही मूल्य प्रचलित थे तथा यह वही समय था जिसके दौरान कि ये निर्माता मूल्यों में वृद्धि करने के लिये अभ्यावेदन कर रहे थे। विनियंत्रण के बाद उन्होंने मूल्य बढ़ा दिये हैं।

श्री दाजी : माननीय मंत्री जी ने उत्तर टाल दिया है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की थी कि मूल्य उचित हैं अथवा नहीं और यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री अलगेशन : जैसा मैंने बताया हम मूल्य-प्रवृत्ति पर नजर रखेंगे। हमें समूची बात पर गौर करना है। विनियंत्रण के परिणामस्वरूप कुछ] वस्तुओं के मूल्य कम हो गये हैं जैसे कि रेयन धागा।

श्री कपूर सिंह: क्या यह सच है कि जब इस वस्तु पर नियंत्रण था तो उस समय यह केवल चोर बाजार में ही खुले आम उपलब्ध थी और यदि हां, तो पहिले चोर बाजार में प्रचलित मूल्यों की तुलना में वर्तमान मूल्य कैसे हैं ?

श्री अलगेशन : मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है कि कास्टिक सोडे की कुछ मात्रा चोर बाजार में बेची गई हो। मुझे इसका पता नहीं है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या मूल्य इसलिये बढ़े हैं क्योंकि मांग पूर्ति से अधिक है ?

श्री अलगेशन : हम आन्तरिक उत्पादन तथा आयात से मांग की पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। १९६३ में आन्तरिक उत्पादन लगभग १.५० लाख टन तथा आयातित मात्रा लगभग ६९,००० टन थी।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या हम अब भी कास्टिक सोडे का आयात कर रहे हैं और यदि हां, तो क्या आयात किये गये कास्टिक सोडे का मल्य देश में उत्पादित सोडे के मूल्य से कम है ?

श्री अलगेशन : हम अब भी इसका आयात करते हैं और यह कार्य राज्य व्यापार निगम करता है । आयातित सोडे का मूल्य देश में उत्पादित सोडे के मूल्य से थोड़ा अधिक है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या आयातित तथा देश में उत्पादित कास्टिक सोडे को एक जगह संग्रह कर लिया जाता है तथा क्या उस आधार पर विनियंत्रण किया गया है अथवा पृथक पृथक किया गया है ?

श्री अलगेशन : विनियंत्रण के बाद, एक जगह संग्रह करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या इस बात पर विचार किया गया है कि देश में उपलब्ध मात्रा, देश में उत्पादित तथा आयातित दोनों को मिलाकर , वर्तमान भाग की पूर्ति के लिये पर्याप्त है और यदि नहीं है तो क्या यही कारण है कि मूल्यों में वृद्धि हो रही है ?

श्री अलगेशन : मेरे विचार से हम वर्तमान मांग की काफी हद तक पूर्ति कर रहे हैं । परन्तु योजना की समाप्ति तक मांग के लगभग ३ लाख टन तक पहुंच जाने की आशा है जिसकी आन्तरिक उत्पादन तथा आयात के द्वारा पूर्ति करने का हमारा विचार है ?

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह मामले पर कड़ी नजर रखेंगे । सरकार कितने समय तक इस मामले पर नजर रखेगी ?

श्री अलगेशन : इस बारे में कुछ कहना अभी संभव नहीं है । पिछले दिसम्बर में विनियंत्रण किया गया है । अतः, मुझे आशा है कि सभा प्रवृत्तियों पर नजर रखने के लिये हमें कुछ समय देगी ।

University Grants Commission

*839. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that only one of the Members of University Grants Commission is a whole-time member ;

(b) whether Government are aware that it is not possible for the Commission to work smoothly under these circumstances ; and

(c) if so, the steps being taken to increase the number of permanent and whole-time members of the Commission ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Yes, Sir.

(b) The University Grants Commission, as at present constituted, has not experienced any serious difficulty in its working.

(c) Does not arise.

Shri Sidheshwar Prasad : May I know whether it is incumbent upon the University Grants Commission to help maintain the standard of education in the country and also to inspect the Universities under the section of the Constitution under which it has been constituted ? If so, how many universities have been inspected by it from the date of its inception and the action taken thereupon ?

श्री मु० क० चागला : मुझे इसके लिये सूचना चाहिये। यह इस प्रश्न में नहीं पैदा होता।

Mr. Speaker : Such a long question should not be put. The main question was whether there is only one whole-time member and whether it leads to some difficulty in the smooth working of the Commission. Now, please ask another question.

Shri Sidheshwar Prasad : Is it a fact that the Vice-Chancellors of different Universities also find a place on the University Grants Commission? If so, does it lead to some handicap in the working of the Universities and what is being done to obviate this difficulty ?

श्री मु० क० चागला : संविधान के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों के तीन से अधिक उपकुलपति नियुक्त नहीं किये जा सकते। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हमें इस बात के बारे में कभी नहीं बताया है कि उपकुलपतियों के इस आयोग का सदस्य होने से किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

श्री मान सिंह पृ० पटेल : क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि केवल एक पूर्ण-कालिक सदस्य रखने की वर्तमान प्रणाली के कारण १० लाख रुपये से ले कर १५ लाख रुपये तक जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान देता है, उन की भलीभांति जांच पड़ताल नहीं की जाती है ?

श्री मु० क० चागला : जहां तक मुझे पता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी ओर से इस दिशा में भरसक प्रयत्न कर रहा है यह आवश्यकतानुसार अनुदान देता है और इस बात का ध्यान रखता है कि उनका ठीक प्रकार से उपयोग हो। परन्तु मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि आयोग की इस बात पर विचार करने के लिये आज बैठक हो रही है कि क्या अब समय आ गया है कि पूर्ण-कालिक सदस्यों की संख्या अधिक होनी चाहिये।

Shri Sarjoo Pandey : May I know the number of other members of the Commission excluding one whole-time member and the amount paid to them in the form of T.A. and D.A. ?

Shri M. C. Chagla : Excluding the Chairman, who is a whole-time member, there are in all 7 members. The total membership of the Commission is thus 8.

Mr. Speaker : How much amount is paid to its Members as T.A. and D.A. ?

श्री मु० क० चागला : मुझे सूचना चाहिये। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

Shri Y. S. Chaudhary : One of my colleagues just pointed out that the Vice-Chancellors serving as members of the University Grants Commission do not find time to attend to the work relating to Universities. Is there any proposal under consideration to appoint some other persons in place of the Vice-Chancellors of Universities ? Moreover, these new persons should be appointed as whole-time members so that they may devote more time.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है जिससे कि उपकुलपति इस कार्य के लिये अधिक समय दे सकें ?

श्री मु० क० चागला : जैसाकि मैंने बताया, इस निकाय के गठन के समूचे प्रश्न पर विचार करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आज बैठक हो रही है।

मिजो नेशनल फ्रंट

\+
*८४०. { **श्री हेम बरुआ** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स्वैल :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि भारत से अलग एक स्वतंत्र "मिजोलैंड" की मांग करने वाले राजनैतिक संगठन मिजो नैशनल फ्रंट के प्रधान को हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वह तथा इस संगठन के कतिपय अन्य नेता राष्ट्र-विरोधी ढंग के गुप्त कामों के लिये प्रायः पूर्वी पाकिस्तान जाते रहते थे ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी कार्यवाहियों का सामना करने के लिये, जिनके कि खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मिजो नेशनल फ्रंट के प्रधान तथा अन्य नेता गुप्त कार्यों के लिये प्रायः पूर्वी पाकिस्तान जाते रहे हैं। हां, फ्रंट के प्रधान, उप-प्रधान तथा एक सदस्य नवम्बर-दिसम्बर, १९६३ में पूर्वी पाकिस्तान गये थे । वापसी पर, फ्रंट के प्रधान तथा उपप्रधान को क्रमशः १७ तथा २४ दिसम्बर, १९६३ को गिरफ्तार कर लिया गया की उन के यह आश्वासन देने पर कि वे राज्य-विरोधी कार्यवाहियों में भाग नहीं लेंगे तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जोकि असंवैधानिक हो, उनको १७ फरवरी, १९६४ को छोड़ दिया गया था।

(ग) राज्य सरकार अब भी फ्रंट की गतिविधियों पर सावधानी पूर्वक नजर रख रही है ।

श्री हेम बरुआ : गृह-मंत्री जी ने यह बात स्वीकार की है कि ये व्यक्ति पूर्वी पाकिस्तान गये थे। इस बात को तथा यह देखते हुए कि स्वतंत्र मिजोलैंड की मांग करने वाले मिजो नेशनल फ्रंट के नेता पाकिस्तान से सक्रिय सहायता तथा सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इसका क्या कारण है कि सरकार ने इन नेताओं के विरुद्ध, जो कि राज्य हित के विपरीत राजद्रोह की कार्यवाही में भाग ले रहे हैं; कड़े कदम क्यों नहीं उठाये ?

श्री हाथी : आसाम के मुख्य मंत्री नेताओं तथा अन्य व्यक्तियों के बीच बातचीत हुई थी । मुख्य मंत्री ने काफी देर तक बात चीत की तथा इन व्यक्तियों द्वारा यह आश्वासन दिये जाने के बाद कि वे किसी प्रकार का असंवैधानिक कदम नहीं उठायेंगे , उन्होंने स्वयं यह निर्णय किया है कि कड़े कदम उठाने की अपेक्षा उनका सहयोग प्राप्त करना अच्छा है ।

श्री हेम बरुआ : इस बात को देखते हुए कि मिजो नेशनल फ्रंट के समान ही इस देश में कुछ व्यक्ति तथा संगठन हमारी राष्ट्रीय एकता को पूर्ण रूप से छिन्न-भिन्न करना चाहते हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि इसका क्या कारण है कि सरकार ने उनको निश्चित रूप से यह क्यों नहीं कह दिया कि इस देश के टुकड़े करने अथवा पूर्ण स्वाधीनता के नाम पर इस देश से अलग हो जाने के किसी भी प्रयास को सहन नहीं किया जायेगा तथा उसको पूर्ण रूप से कुचल दिया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि इस प्रकार के किसी आन्दोलन को हम सहन नहीं कर सकते । परन्तु इस विशेष संगठन का पिछला कुछ इतिहास है । आपातकाल की घोषणा के बाद, उन्होंने किसी भी प्रकार के आन्दोलन को समाप्त करने तथा सहयोग देने का प्रस्ताव किया । बाद में, लम्बे विचार-विमर्श के बाद उनको रिहा कर दिया गया । बातचीत के दौरान आश्वासन दिये गये और यह इन आश्वासनों के आधार पर किया गया है . . .

श्री हेम बरुआ : क्या उन्होंने भारत से पृथक होने की मांग छोड़ दी है ?

श्री नन्दा : मुख्य मंत्री जी का विचार यह था कि उस आश्वासन को देखते हुए . . .

श्री हेम बरुआ : क्या आश्वासन दिया गया था ?

श्री नन्दा : यह कि वे राज्य-विरोधी कार्यवाहियों में भाग नहीं लेंगे ।

श्री हेम बरुआ : श्रीमान्, जी, सरकार अपनी अस्थिर नीति के कारण देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है उस से अधिक और क्या किया जा सकता है ?

श्री नाथ पाई : इस देश में विद्यमान विघटन कार्य प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने की पाकिस्तान की सुनिश्चित नीति को देखते हुए, सरकार इस हेतु क्या सक्रिय कदम उठा रही है कि इस प्रकार की प्रवृत्तियों वाले समूह अथवा प्रतिनिधि पाकिस्तान के साथ सम्पर्क कायम न कर सकें अथवा इस प्रकार से सीमा पार करके न जायें ?

श्री नन्दा : यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस प्रकार का सम्बन्ध कायम करने के किसी भी प्रयत्न को रोका जाना चाहिये और जब भी कभी ऐसा किया जाय, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये । इसी कारण गिरफ्तारी की गई थी ।

श्री हेम बरुआ : परन्तु आप इस चीज़ को नहीं रोक सके हैं ।

श्री नन्दा : हम और अधिक प्रभावशाली ढंग से इस चीज़ को रोकेंगे ।

Shri Yashpal Singh : Is the Government in a position to indicate the number of the inhabitants of this Mizoland who have embraced Christianity during the last ten years and whether, as has been previously pointed out by the Government the Christian Missionaries have played some part in it ?

Mr. Speaker : It is a different question.

श्री स्वैल : क्या यह सच है कि एक ओर तो इस मिजो नेशनल फ्रंट के जो सदस्य आसाम विधान सभा में हैं वे उन में से कुछ राज्य सरकार के कार्यों तथा नीतियों के प्रबल समर्थक हैं, तो दूसरी ओर वे अपने अन्य साथियों को साथ मिलकर भारत से पृथक होने के सिद्धान्त का निलज्जतापूवक प्रचार करते फिरते हैं तथा उन्होंने अपने उस निवाचिन घोषणा पत्र का भी खंडन नहीं किया है जिस में भारत से पृथक होने की मांग की गई है ? यदि हां, तो इस अफवाह में कहां तक सत्यता है कि आसाम की राज्य सरकार तथा इस संगठन के बीच, जिसने की दुरंगी नीति अपनाई हुई है ? कोई गुप्त समझौता है ?

श्री नन्दा : राज्य सरकार कोई भी ऐसा समझौता नहीं कर सकती जिसके अधीन भारत से पृथक होने वाली किसी प्रवृत्ति को सहन किया जाय । यह नहीं हो सकता । अतः यदि कोई समझौता किया भी गया होगा तो वह केवल इसी आधार पर किया होगा कि ये व्यक्ति अपनी मांग को छोड़ दें । श्रीमान्, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब मैं वहां गया था तो इस फ्रंट के नेताओं से मैं मिला था और मेरे साथ हुई बात चीत के दौरान एसा प्रतीत हुआ था कि व कुछ रास्ते पर आ गये हैं।

श्री बसुमतारी : समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों से हमें यह पता चलता है कि सरकार "देखते ही गोली मार दो" आदेश जारी कर के उन व्यक्तियों के विरुद्ध, जो साम्प्रदायिक आग भड़काते हैं, कठोर कार्यवाही कर रही है । इसी प्रकार का रवैया उन व्यक्तियों के प्रति क्यों नहीं अपनाया गया है । जो कि राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियों में भाग लेते हैं ?

श्री नन्दा : जहां तक मैं प्रश्न को समझ पाया हूं, मेरा विचार है कि मैं ने जो उत्तर दिया है उस में माननीय सदस्य के इस प्रश्न का उत्तर भी आ गया है ।

श्रीमती रेणुकाबड़ कटकी : क्या यह सच है कि भारतीय सेना के कुछ भूतपूर्व सैनिकों सहित लगभग १,००० मिजो नवयुवक पाकिस्तान में सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

श्री नन्दा : जी, नहीं । हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

Dr. Govind Das : Is the Government following the same policy in regard to other movements also, like the Mizo movement, taking place here and there as in South ?

Mr. Speaker : This question relates to Mizoland, not to South.

श्री हेडा : इस संगठन द्वारा जारी किये गये घोषणापत्र के बारे में वतमान स्थिति क्या है ? क्या भारत से पूर्णतया अलग होने के बारे में इस में की गई मांग अब भी वैसी की वैसी है अथवा किसी घोषणा के द्वारा इस में रूप भेद कर दिया गया है ?

श्री नन्दा : उत्तर इन व्यक्तियों द्वारा, विशेषकर संगठन के प्रधान द्वारा, दिये गये इस आश्वासन से सम्बन्ध रखता है कि वे संविधान के उबिन्धों के दायरे में ही कार्य करेंगे ।

शिक्षा संस्थाओं में राजनीति

\+

*८४१. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री कृष्णपाल सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि सरकार द्वारा शिक्षा संस्थाओं से, विशेषत: विश्वविद्यालयों से, राजनीति को दूर रखने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं तो वे क्या क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : भारत में विद्यार्थियों में अनुशासन हीनता की समस्या का अध्ययन करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित की गई समिति ने, अन्यवस्तुषु, शिक्षा संस्थाओं से, विशेषत: विश्वविद्यालयों से, राजनीति को दूर रखने के लिये कुछ सिफारिशें की थी । ये सिफारिशें सभी राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और कालेजों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये भेज दी गई थीं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : अध्यापकों द्वारा राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिये जाने और चुनाव लड़ने के बारे में सरकार का क्या मत है ?

श्री मु० क० चागला : भारत सरकार का यह मत है कि अध्यापकों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिये। उनका मुख्य कर्त्तव्य शिक्षा देना और युवावग के चरित्र को अच्छे रूप में ढालना है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि विश्वविद्यालयों में राजनीति अप्रकट मार्ग से प्रवेश करती है, अर्थात् अध्यापकों और विद्यार्थियों की भावात्मक मनोवृत्तियों की अपूर्ति के कारण उनके जीवन में राजनीति का प्रवेश होता है, और यदि हां, तो इसे दूर करने के लिये भारत सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मु० क० चागला : सर्वप्रथम हम प्रकट कारणों के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं। इस कार्यवाही को करने के पश्चात् हम अप्रकट कारणों पर विचार करेंग ।

श्रीमती सावित्री निगम : समिति की सिफारिशें क्या हैं और उन पर विभिन्न राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों प्राधिकायों की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मु० क० चागला : मोटे तौर पर तीन प्रकार की सिफारिशें हैं :—

(१) अध्यापकगण अपने वैध कार्यकलाप , अर्थात् अध्यापन कार्य, तक ही अपनी कार्यवाही सीमित रखें; केवल अध्यापकों के लिये पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था समाप्त कर दी जानी चाहिये ;

(२) बाहरी राजनीतिज्ञों को विश्वविद्यालयों में प्रवश नहीं करना चाहिये और उन्हें विद्यार्थियों को राजनीतिक आन्दोलनों में भाग लेने के लिए प्ररित नहीं करना चाहिए; राजनीतिक दलों को विश्वविद्यालयों में जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये;

(३) यह सब से महत्वपूर्ण सिफारिश है क्योंकि यह कुलपतियों और उप-कुलपतियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में है --सुझाव यह है कि राज्यपालों को कुलपतियों के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि यदि वे कुलपति होते हैं तो उन पर राज्य मंत्रालयों का प्रभाव पड़ता है, केवल सुविख्यात व्यक्तियों को ही उप-कुलपतियों के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिये। मोटे तौर पर ये तीन उन के सुझाव हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : मेरे प्रश्न के द्वितीय भाग का क्या उत्तर है ?

अध्यक्ष महोदय : दूसरे भाग का उत्तर बाद में दे दिया जायेगा ।

श्री कृपाल सिंह : क्या यह सच है कि अधिकांश उप-कुलपतियों को अपने चयन के लिए वोटों पर निर्भर रहना पड़ता है और इसी कारण विश्वविद्यालयों में राजनीति की बातें चलती हैं ?

श्री मु० क० चागला: विश्वविद्यालयों के लिये एक आदर्श संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति हमने नियुक्त की है। उसके प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या हम उप-कुलपतियों के चुनाव की पद्धति में परिवर्तन नहीं कर सकते ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : उप-कुलपतियों का चुनाव नहीं किया जाता।

श्री रंगा : कुछ विश्वविद्यालयों में उनका चुनाव किया जाता है ।

श्री नाथ पाई : क्या सरकार का ध्यान राजस्थान के शिक्षा मंत्री के इस आशय के वक्तव्य की ओर गया है कि पाकिस्तान में लिखी गई और मुद्रित पुस्तकों का, जिनमें कि विदेशी राज्य पाकिस्तान के प्रति देशभक्ति की शिक्षा दी गई है, राजस्थान के पाकिस्तान की सीमा के निकट वाले एक क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है और यह एक अमंगलसूचक उदाहरण है जिसमें खतरनाक किस्म की राजनीति का प्रचार करने दिया जा रहा है ?

श्री मु० क० चागला : इस बात के अतिरिक्त कि यह प्रश्न वास्तव में तथा ठीक से विश्वविद्यालयों में राजनीति से सम्बन्धित इस प्रश्न से नहीं उठता, मेरा ध्यान भी इस वक्तव्य की ओर नहीं दिलाया गया है।

श्री नाथ पाई : क्या वह इस बात की जांच करेंगे ? क्या वह कम से कम इतना आश्वासन सदन को नहीं दे सकते ?

श्री मु० क० चागला : मैं निश्चय ही इसके जांच करूंगा ।

श्री कपूर सिंह : क्या सभी प्रकार के राजनीतिक विचारों वाले भारतीय विद्यार्थियों का उपचार करने के लिए सम्मोहनविद्या[1] की हाल ही में खोजी गई एक प्रणाली का उपयोग करने की व्यवहायता के बारे में सरकार ने जांच की है ?

[1]Hypnopaedia

श्री मु० क० चागला : इस नई प्रकार की शिक्षा की मुझे जानकारी नहीं है।

श्री कपूर सिंह : सम्मोहन विद्या का अर्थ है किसी व्यक्ति को कृत्रिम-निद्रामग्न स्थिति में उसके मस्तिष्क में सुझावों का सृजन करना। रूस में वे इस प्रविधि का उपयोग कर रहे हैं।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Is the hon. Minister aware of the fact that if politics, which is also an art like other arts, is kept out of the Universities on account of the defects of present party-politics, it may result in great loss and, therefore, will he consider the desirability of not totally keeping it out of the Universities ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है।

Shri Prakash Vir Shastri : Is it a fact that annual elections to the college and university Unions are based on political grounds and outside political parties also participate therein, and if so, are any steps being taken to check it ?

Shri M. C. Chagla : The recommendations are that they should not participate in these elections. There is no harm if these elections are confined to students only but it is very highly objectionable if outside political parties try to influence these elections to students' unions.

Shri Prakash Vir Shastri : What measures are being adopted to prevent it ?

Shri M. C. Chagla : The hon. Member might be aware that University is a State subject. We can not do much in the matter. We can only give guidance and issue instructions but it is not within our powers to take action in the matter, this power vests with States.

Shri Prakash Vir Shastri : There are Central Universities.....

Mr. Speaker : Order, Order.

श्री हरि. विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं है कि पिछले दस अथवा अधिक वर्षों से पक्षभागी चालबाजियों द्वारा और सत्तारूढ़ दल द्वारा देशभक्ति का प्रदर्शन करके कालेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी और शिक्षक समुदाय का भारी दुरुपयोग किया जाता रहा है और यदि हां, तो शैक्षणिक जीवन के इस क्षतिग्रस्त ताने-बाने को ठीक करने में माननीय मंत्री के विचार में कितना समय लगेगा ?

श्री मु० क० चागला : केवल सत्तारूढ़ दल को ही दोष नहीं दिया जाना चाहिये। सभी दल इस मामले में यह कार्य करते रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : सबसे अधिक दोष सत्तारूढ़ दल का है, अन्य दलों ने तो केवल विरोधी कार्यवाही की है।

श्री बासप्पा : : क्या शिक्षा विभाग में इस समय जो बहुत सी सलाहकार समितियां हैं उनका इस राजनीति से वास्ता पड़ता है और इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है? क्या बहुत सी समितियों ने इस सम्बन्ध में अपना योगदान दिया है ?

श्री मु० क० चागला : मैंने कुछ समितियों को तोड़ दिया है और यदि समितियों पर दोष मढ़ा जा सकता है तो बहुत सी समितियों को समाप्त करने की बात को देखते हुए अब राजनीति वहां पर कम होगी ।

श्री वासुदेवन नायर : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि विश्वविद्यालयों में राजनीति पर प्रतिबन्ध लगाने के नाम में वास्तव में तो एक विशेष प्रकार की राजनीति को जो मुख्यतया सत्तारूढ़ दल के सिद्धान्तों पर आधारित है लादा जा रहा है, और यदि ऐसी बात है तो वह इसके लिये क्या क्या कार्यवाही करेंगे कि इस सम्बन्ध में कम से कम समानता तो बरती ही जाये ?

श्री रंगा : समानता की बात क्यों हो ?

श्री मु० क० चागला : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाता हूं कि हम किसी भी दल द्वारा विश्वविद्यालयों में राजनीति सम्बन्धी कार्यवाहियों के करने और विद्यार्थियों पर प्रभाव डालने के विरुद्ध हैं, चाहे कोई भी दल ऐसा क्यों न करता हो।

श्री हरि विष्णु कामत : सत्तारूढ़ दल, कांग्रेस दल को मिला कर।

Shri Kashi Ram Gupta : Students participation in politics has taken a country-wide shape and the hon. Minister has stated that the power to take action in this matter vests with the States. May I know whether the hon. Minister is considering any proposal for this power being taken over by the Centre to check this country-wide evil ?

Shri M. C. Chagla : I have already stated in the House that the only way for us to get this power is that we amend the Constitution and include this subject under the Concurrent List.

Shri Kashi Ram Gupta : Does the hon. Minister intends to do so ?

क्या आप उस अधिकार को अपने हाथ में लेने के लिये तैयार हैं ।

Shri M. C. Chagla : I think Constitution can not be amended to this effect easily. The hon. Member might be aware that majority of the State are to vote in favour for bringing this amendment in the Constitution.

श्री रंगा : क्या केन्द्र इस मामले की ठीक से व्यवस्था करेगा ?

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मंत्री महोदय कांग्रेस दल में शामिल हो गये हैं, अथवा अभी तक नहीं ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि विद्यार्थियों और अध्यापकों में राजनीतिक जागरण की भावना विद्यमान होने के कारण चीनी आक्रमण के समय समस्त विद्यार्थी संगठित हो कर एकरूप हो गया था ? सरकार की अब क्या नीति रहेगी, क्या यह ठीक प्रकार की राजनीति को विद्यार्थियों और शिक्षकों में पनपने की अनुमति देगी अब राजनीति पर पूर्ण प्रतियन्ध लगा देगी और गैर-राजनीतिक बना देगी।

श्री मु० क० चागला : सही नीति यह है। यदि कोई युवा पुरुष अथवा महिला विद्यार्थी जीवन व्यतीत कर रहा हो कि वह राजनीतिक समस्यायों को देखे और समझे । सैक्षणिक

दृष्टिकोण से ऐसा करना चाहिये। उसे राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेना चाहिये। हम विद्यार्थियों को राजनैतिक प्रश्नों का अध्ययन करने से रोकने को पसन्द नहीं करते। नहीं तो उचित समय होता है जब कि उन्हें ऐसा अध्ययन करना चाहिये।

विवेकानन्द शताब्दी समारोह पंडाल

*८४२. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पार्क सर्कस, कलकत्ता में विवेकानत्द शताब्दी समारोह पंडाल को प्रदर्शनी सहित ११ जनवरी, १९६४ को २ म० प० पर शरारती लोगों द्वारा जला दिया गया था ;

(ख) शरारती लोगों को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा उचित कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रदर्शनी में रखे गये स्वामी विवेकानन्द के अवशेषों का क्या बना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) ११ जनवरी, १९६४ को लगभग ३ म० प० पर पंडाल के कुछ भाग को जला दिया गया था।

(ख) आग आकस्मिक दुर्घटनावश लगी थी और इसलिये सेना अथवा अन्य किसी के द्वारा शरारती लोगों को रोकने के लिये कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सारे अवशेष पहले ही हटा लिये गये थे और इसलिए अवशेषों को कोई हानि नहीं पहुंची थी।

श्री च० का० भट्टाचार्य : समाचारपत्रों में यह समाचार-प्रकाशित हुए थे कि सेना और पुलिस के लोग पंडाल के जल जाने के पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचे थे। क्या मैं जान सकता हूं कि पंडाल को जलने से बचाने के लिए वे समय पर वहां क्यों नहीं पहुंचे।

श्री हाथी : हमें जो जानकारी मिली है.....

अध्यक्ष महोदय : क्या आग लगने से पहिले ही उन्हें पहुंच जाना चाहिये था ?

एक माननीय सदस्य : कोई पूर्व सूचना नहीं दी जाती।

श्री च० का० भट्टाचार्य : मेरे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाने के पश्चात् मैं एक और प्रश्न पूछूंगा।

श्री हाथी : उसका उत्तर अध्यक्ष महोदय ने दे दिया है।

श्री च० का० भट्टाचार्य : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह पंडाल पाकिस्तान के उप उच्च आयुक्त के लगभग सामने स्थित था और उस कार्यालय के बहुत ही निकट था तथा उस कार्यालय की रक्षा करने के लिए सैनिक सिपाही लगाये हुए थे तो क्या वे लोग पंडाल को जलने से बचाने के लिये वहां नहीं जा सकते थे, विशेषरूप से इस बात को देखते हुए कि पंडाल में आग लगाने से पहले उस पर पेट्रोल छिड़का गया था ?

श्री हाथी : हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पंडाल के ऊपर पैट्रोल नहीं छिड़का गया था परन्तु आग बिजली की लाइन में शार्ट-सरकिट हो जाने के कारण लगी थी।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या यह जानने के लिये कोई जांच की गई थी कि शरारती व्यक्ति कौन थे और इस मुसीबत को खड़ा करने का उनका क्या उद्देश्य था ?

श्री हाथी : मैं इसका उत्तर पहले दे चुका हूं। यह आग बिजली की लाइन के अकस्मात शार्ट-सरकिट हो जाने के कारण लगी थी।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that on the occasions of political leaders' anniversary celebrations police arrangements are made. But no such arrangements are made when anniversary celebrations of religious leaders takes place ? Are Government taking any action in this regard ?

Shri Hathi : What can police do in the case of accidents caused by the short-circuiting of the electric connection.

डा० मा० श्री० अणे : पुलिस चौकी और जलाये गये पंडाल के बीच कितनी दूरी थी ?

श्री हाथी : पश्चिम बंगाल सरकार से मैंने इन सब बातों की पूछताछ नहीं की है।

डा० मा० श्री० अणे : इस समय तक आपने क्या पूछताछ की है ?

श्री च० का० भट्टाचार्य : माननीय मंत्री ने अभी जो उत्तर दिया है उसको ध्यान में रखते हुए क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि सरकार की ओर इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य क्यों नहीं जारी किया गया था कि आग किस प्रकार लगी थी, जब कि स्थानीय संस्थायें बार बार यह अभ्यावेदन भेज रही थी कि आग के कारणों की जांच की जाये ? पहली ही बार हमने यह बात सुनी है कि बिजली की लाइन में शार्ट-सरकिट हो जाने के कारण आग लगी थी। सभी समाचार-पत्रों में यह बात कही गई थी कि कुछ शरारती व्यक्तियों ने आग लगाई थी परन्तु माननीय मंत्री के इस उत्तर को देने के समय तक उस समाचार का विरोध करने वाला कोईजवक्तव्य सरकार ने जारी नहीं किया।

श्री हाथी : यह अभ्यावेदन पश्चिम बंगाल सरकार को भेजा गया होगा।

तेल शोधक कारखाने सम्बन्धी करार

+

*८४४. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री ४ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार ने बर्माशैल तथा एस्सो के साथ उनके तेलशोधक कारखानो सम्बंधी करारों को खत्म करने के लिये कोई समझोता कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें क्या परित्राण दिये गये हैं तथा समझोते की शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि यदि नया समझोता किया जाए तो उस पर कितना व्यय करना पड़ेगा, क्या इसका कोई मूल्यांकन किया गया है ?

श्री हुमायून कबिर : यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है । यदि कोई नया समझौता किया जाये तो सरकार को क्यों खर्च करना पड़ेगा ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इन दो समस्याओं के नये करार की मांग को देखते हुए क्या सरकार ने इस करार के बाद की किसी लागत अथवा उत्तरदायित्व का मूल्यांकन कर लिया है ?

श्री हुमायून कबिर : मैं यह प्रश्न नहीं समझ सका कि एक लाइसेंस पर स्थापित तेलशोधन कारखाना है और उस कारखाने को एक सामान्य व्यापारिक यूनिट के रूपमें बदला जायेगा और यह व्यापार लाइसेंस के अन्तर्गत आ जायेगा । किसी लागत का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्रीमती सावित्री निगम : इन दो समवायों द्वारा अर्जित बड़े लाभ और हमारी बढ़ती हुयी आवश्यकताओं को देखते हुये, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार इन दो समवायों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है और यदि उत्तर स्वीकारात्मक है, तो अब तक क्या तैयारियां की गयी हैं ?

श्री हुमायून कबिर : मैं इस प्रश्न का इस सभा में कई बार उत्तर दे चुका हूं ।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुये इन दो विदेशी समवायों के साथ किये गये करारों से उनको इस देश में एक प्रकार का ऊंचा दर्जा मिल जाता है, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार क्या इन दो समवायों के साथ नये करार करने और एस्सो, शेल और कालटेक्स को औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत लाने पर विचार कर रही है ताकि वे राष्ट्रीय निकायों के रूप में काम करें न कि राष्ट्रोपरि निकायों के रूप में ?

श्री हुमायून कबिर : इस देश में कोई भी यूनिट कानून के बगैर नहीं चल सकता । उनको कानून के अन्तर्गत ही ठेके दिये गये और जब तक ठेका जारी रहेगा उनके ये अधिकार प्राप्त रहेंगे । परन्तु सवायों ने स्वयं ही इन करारों को समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की है और अब यह विचाराधीन है ।

श्री कपूर सिंह : प्रश्न संख्या ८४५ के साथ प्रश्न संख्या ८५७ का भी उत्तर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय को इसमें सुविधा हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैं दोनों का उत्तर दे दूंगा ।

वैज्ञानिकों का "पूल"

\+

*८४५. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों के 'पूल' में कितने वैज्ञानिक हैं ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है जो विदेशों में नियमित नौकरी मिल जाने पर 'पूल' से अलग हो गये हैं ; और

(ग) 'पूल' में चुने गये ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्हें फरवरी, १९६४ के अन्त तक भारत में नियमित नौकरी मिल गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) पूल में संख्या के बारे में कोई अधिकतम सीमा नहीं है । १ मार्च, १९६४ को इसमें ५०७ वैज्ञानिक थे ।

(ख) १६ ।

(ग) ७९० ।

विदेशों में भारतीय वैज्ञानिक

***८५७. श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन कौन भारतीय वैज्ञानिक विदेशों में काम कर रहे हैं तथा ये वैज्ञानिक किन किन देशों में काम कर रहे हैं ;

(ख) अपनी जन्मभूमि की सेवा करने के लिए उनको आकर्षित करने के सम्बंध में क्या प्रयत्न किये गये हैं अथवा क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं ; और

(ग) उनमें से कितनों को देश में वापस लौटने के लिए तैयार कर लिया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) १ जनवरी, १९५७ के बाद विदेश गये 'भारतीय वैज्ञानिकों' के नाम और ब्योरे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय रजिस्टर यूनिट द्वारा 'विदेशों में भारतीय' नामक डायरेक्टरियों में प्रकाशित किये जा रहे हैं, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ख) विदेशों से लौटने वाले वैज्ञानिकों और प्रौद्योगविज्ञों के रोजगार और उपयोग के बारे में सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं :

(१) उन वैज्ञानिकों और तकनीकी व्यक्तियों के लिये, जो विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या नौकरी पर हैं, एक पृथक रजिस्टर रखा जाता है ।

रजिस्टर में दर्ज लोगों के ब्योरे सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नियोजकों को भेजे जाते हैं ।

(२) रजिस्टर में दर्ज उपयुक्त उम्मीदवारों के बारे में विभिन्न रोजगार एजेन्सियों को, उनकी रोजगार अधिसूचना पर, बताया जाता है ।

(३) वैज्ञानिक और तकनीकी पदों की अधिसूचना के सारांश 'टेकनीकल मेनपावर बुलेटिन' में छापे जाते हैं और उसको विदेशों में अपने वैज्ञानिकों की जानकारी के लिये विदेशों में भारतीय मिशनों और अनेक विदेशी संस्थाओं को परिचालित किया जाता है ।

(४) देश में नियमित रोजगार मिलने तक अच्छी अर्हताप्राप्त व्यक्तियों को अस्थायी रूप से काम देने और उनका उपयोग करने के लिये एक 'वैज्ञानिक पूल' बनाया गया है ।

(ग) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय रजिस्टर यूनिट में उपलब्ध जानकारी के अनुसार १-१-१९५७ से १-१-१९६४ तक की अवधि में रजिस्टर में दर्ज ३८९६ व्यक्ति भारत लौट चुके हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि इस पूल में एक वर्ष से भी अधिक समय से लगभग १०० वैज्ञानिक हैं और लगभग ४० वैज्ञानिक दो वर्ष से अधिक समय से हैं, जिससे सरकार को ५० लाख रुपये की हानि हुई है और यदि हां, तो पूल में रखे इन व्यक्तियों को नियोजित करने में क्या बाधा है ?

श्री मु० क० चागला : मेरे पास ये आंकड़े हैं कि पूल में कितने व्यक्ति रखे गये हैं । छः महीने से कम समय से पूल में वैज्ञानिकों की संख्या २१६ है, छः से बारह महीने तक की यह संख्या १५१ है और १२ से १८ महीने तक की यह संख्या ५९ है और १८ से २४ महीने तक की संख्या ३२ है और २४ महीने से ऊपर की संख्या ४९ है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इन पर कितना व्यय हुआ है ?

श्री मु० क० चागला : ये आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इन व्यक्तियों को नियमित सेवा में नियोजित करने में क्या बाधा है ?

श्री मु० क० चागला : विदेश स्थित हर वैज्ञानिक को इस पूल में रखा जाता है और उसको ४०० रुपये से ७०० रुपये तक उपलब्धि मिलती है । हम उनको विश्वविद्यालयों में अथवा प्रयोगशालाओं में अथवा संस्थाओं में रखने का प्रयत्न करते हैं। यदि हम उनको नहीं रख सकते और समय बीत जाता है तो अतिरिक्त पद बनाये जाते हैं ताकि उनको भली प्रकार नियोजित किया जा सके । कठिनाई स्थायी रोजगार की है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती: क्या वैज्ञानिकों का मनोबल ऊंचा उठाने के लिये एक अखिल भारत वैज्ञानिक सेवा बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री मु० क० चागला : ऐसा एक सुझाव है ।

श्री हरिविष्णु कामत : क्या सरकार को पता है कि बड़ी संख्या में प्रशिक्षित और विख्यात भारतीय वैज्ञानिक अन्य देशों और विदेशी सरकारों की सेवा में लगे हुए हैं ? क्या यह सच है कि जब कि देश में विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है, अन्य देशों की सेवाओं में लगे इन विख्यात वैज्ञानिकों को अथवा इनमें से बहुतों को विज्ञान कांग्रेस में आमंत्रित नहीं किया जाता है जब कि विदेशी वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया जाता है ?

श्री मु० क० चागला: मुझे किसी ऐसे प्रमुख वैज्ञानिक के बारे में, चाहे वह किसी की राष्ट्रीयता का हो या किसी भी देश का हो, पता नहीं है जिसे विज्ञान कांग्रेस में आमंत्रित न किया गया हो ।

श्री रंगा : क्या यह सच है कि इस पूल में रखा गया हर व्यक्ति उसके दिये जा रहे मानदेय से बहुत अधिक पाने का हकदार है और उनको उसमें केवल इसलिये रखा जाता है कि इन लोगों को उचित वेतन पर उचित और स्थायी नौकरी दिलाने में सरकार के अन्य विभाग वैज्ञानिक पूल अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं करते ।

श्री मु० क० चागला : यह हमारे युवकों की देशभक्ति है कि वे अमरीका अथवा ब्रिटेन में उनको प्राप्त वेतन से बहुत कम वेतन पर यहां आते हैं। हम इस बात के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको उनकी अर्हता के अनुसार वेतन मिले परन्तु हमारा देश एक निर्धन देश है और हम उनको उतना वेतन नहीं दे सकते जितना अमरीका और ब्रिटेन दे सकते हैं।

श्री रंगा : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया है। सरकार के अन्य विभाग सहयोग नहीं कर रहे हैं और परिणामस्वरूप ये बेचारे वैज्ञानिक थोड़े से वेतन पर इसी पूल में बने रहते हैं।

श्री मु० क० चागला : कुछ मामलों में कठिनाइयां हुयी हैं लेकिन कुल मिलाकर हमें विश्व-विद्यालयों और अन्य संस्थाओं से सहयोग मिला है।

श्री चन्द्रभान सिंह : पूल में उन वैज्ञानिकों की क्या संख्या है जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग ने चुन लिया था लेकिन गृह मंत्रालय ने उसका अनुमोदन नहीं किया।

श्री मु० क० चागला : मुझे ऐसे किसी मामले का पता नहीं है।

श्री चन्द्रभान सिंह: मैं उनको बतला दूंगा।

श्री मु० क० चागला : अच्छी बात है।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि जैसा कि लोक लेखा समिति ने बताया है 'वैज्ञानिक पूल' भेदभाव अनियमितता और अन्यमनस्कता का 'पूल' बन गया है और यह इसलिये है कि विदेशों में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिक इस देश में आना और इस पूल में शामिल होना नहीं पसंद करते ?

श्री मु० क० चागला : माननीय सदस्य को पूरी जानकारी नहीं है। 'वैज्ञानिक पूल' बड़ी अच्छी तरह चल रहा है। विदेश स्थित अधिकांश भारतीय लौट रहे हैं क्योंकि अब उनको वेतन का आश्वासन है।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार का हाल में ब्रिटेन में अपनायी गयी प्रणाली की तरह भारतीय वैज्ञानिकों के निष्कासन की समस्या की उच्च स्तरीय जांच के लिये कोई संस्था बनाने का प्रस्ताव है ?

अध्यक्ष महोदय : वह इसको निष्कासन कह रहे हैं।

श्री मु० क० चागला : कोई निष्कासन नहीं है। जो समस्या है ही नहीं उसकी जांच कैसे की जा सकती है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि कुछ वैज्ञानिक, अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करने के बाद इतने हतोत्साहित हो गये कि वे वापस चले गये ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

श्री मु० क० चागला : कुछ समय पहले ऐसा हुआ था, जब कि वैज्ञानिकों को काम और वेतन नहीं मिला और वे वापस चले गये। अब जैसे ही वे भारत आते हैं, उन्हें वेतन मिलने लगता है।

श्रीमती सावित्री निगम : मैं पूल में पंजीकृत वैज्ञानिकों की बात कह रही हूं। उनकी बारी न आ सकी और वे इंतजार न कर सके। अतः वे वापस चले गये। उनकी संख्या क्या है ?

श्री मु० क० चागला : यदि ऐसा है तो उनकी संख्या बहुत थोड़ी है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : स्थायी सेवा में नियुक्ति के लिये उम्मीदवार को पूल में से छांटने का अधिकार किस प्राधिकार को है ?

श्री मु० क० चागला : हमें पूल के हर सदस्य की अर्हता का पता रहता है । वह धातुशोधक हो सकता है, भौतिकशास्त्री, केमिस्ट आदि हो सकता है । हम उसे विश्वविद्यालय में अथवा प्रयोगशाला में, जहां उसकी सेवाएं अधिक लाभदायक हो सकती हैं, रखने का प्रयत्न करते हैं । इस प्रकार यह काम चलता है ।

मद्रास में औद्योगिक कम्पलैक्स[1]

*८४६. **श्री राम सहाय पाण्डेय :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एस्सो की मद्रास में एक औद्योगिक "कम्पलैक्स" की स्थापना की योजना पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बंध में क्या निर्णय किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) और (ख) यदि उल्लेख एस्सो द्वारा तेल शोधन कारखाना, अमोनिया और ल्यूब संयंत्रों में भाग लेने के प्रस्ताव का है तो यह अभी परीक्षाधीन है ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : औद्योगिक कम्पलैक्स की कुल लागत कितनी होगी ?

श्री हुमायून कबिर : मैंने 'औद्योगिक कम्पलैक्स' शब्द प्रयोग नहीं किया है । मैंने तो एक तेल शोधक कारखाना और अमोनिया और ल्यूब संयंत्रों की स्थापना के प्रश्न का जिक्र किया है । यह उस पर निर्भर करता है कि किसका प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है क्योंकि विभिन्न पक्षों ने विभिन्न प्रस्ताव रखे हैं ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या इस कम्पनी द्वारा प्रस्तावित शर्तें फिलिप्स जैसी कुछ अन्य कम्पनियों से अच्छी हैं जिसने केरल में एक तेल शोधन कारखाना चलाने का करार किया है ।

श्री हुमायून कबिर : सभी प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है । हरेक की कुछ आकर्षक बातें हैं । निर्णय किए जाने से पूर्व उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि मामले की परीक्षा हो रही है । निर्णय करने में सरकार को कितना समय लगेगा क्योंकि यह मामला पिछले दो वर्षों से लटक रहा है ।

श्री हमायून कबिर : माननीय सदस्य को सही जानकारी नहीं है क्योंकि प्रस्ताव प्राप्त होने की अन्तिम तारीख कल ही की थी यानि ३१ मार्च । उनका कहना है कि यह दो वर्षों से लटक रहा है । पता नहीं उन्हें यह जानकारी कहां से मिली ।

[1]Industrial Complex.

सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी का मामला

+

*८४७. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिराजुद्दीन एंड कम्पनी के कार्यों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नियुक्त मजिस्ट्रेट को उस समय स्थानान्तरित कर दिया गया जब उक्त मुकदमा काफी आगे बढ़ चुका था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस काम के लिए एक नया मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का विचार है ; और

(घ) क्या मुकदमे की सुनवाई नए सिरे से की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) कलकत्ता की तृतीय अतिरिक्त विशेष न्यायालय के, जिस न्यायालय को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सिराजुद्दीन एंड कम्पनी के मामले से उत्पन्न एक मामला सौंपा गया था, पीठासीन पदाधिकारी को वादियों की गवाही रिकार्ड किए जाने के बाद स्थानान्तरित कर दिया गया।

(ख) पीठासीन पदाधिकारी को अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट के महत्वपूर्ण पद पर स्थानान्तरित किया गया और लगभग १० जनवरी, १९६४ से कलकत्ता में उत्पन्न आपात-कालीन स्थिति को देखते हुए उनको तत्काल नया पद संभालने को कहा गया।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

श्री हरि विष्णु कामत : इस मजिस्ट्रेट के स्थानातरण की तिथि क्या है और क्या इस आशंका के कोई कारण हैं कि इस स्थानान्तरण का सिराजुद्दीन एंड कम्पनी द्वारा कांग्रेस के भुवनेश्वर सम्मेलन में दान दिए गए २५,००० से भी अधिक रुपयों से संबंध है ?

श्री हाथी : इसका उससे कोई संबंध नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : उत्तर क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है "नहीं"।

श्री हरि विष्णु कामत : दोनों का।

श्री हाथी : इसका कोई संबंध नहीं है। इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : गृह मंत्री जी यहां हैं। वह उत्तर दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार ने इस समय चल रहे मुकदमे में कई गवाहों द्वारा दिए गए इस साक्ष्य पर गौर किया है कि सिराजुद्दीन एंड कम्पनी ने अपना जाल बहुत बड़ा फैला रखा था जिसमें कई विभाग और अफसर शामिल थे और यदि हां, तो क्या सरकार उन सभी लोगों को पकड़ने के लिए, जो साफ छूट गए हैं, एक पूरी जांच करेगी ?

श्री हाथी : मैं नहीं समझता कि एक न्यायाधीश के स्थानान्तरण संबंधी इस प्रश्न से पूरी जांच करने का प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि अब तक रिकार्ड किए गए साक्ष्यों से ऐसा पता चलता है कि इसमें और व्यक्तियों का भी हाथ है।

श्री हाथी : मामला चल रहा है। गवाहों से जिरह की गयी है। उनसे फिर जिरह की जा सकती है। हमें यह देखना होगा कि न्यायाधीश इसको कितना सच मानते हैं। अन्ततः हम इस ओर ध्यान दे सकते हैं।

Shri Yashpal Singh : To what extent decision in the case will be delayed as a result of the transfer of the Magistrate and when it will be decided?

श्री हाथी: मैं नहीं समझता कि इसमें कोई विलम्ब होगा क्योंकि आरोप लगाया जा चुका है। भूतपूर्व न्यायाधीश ने आरोप नहीं लगाया था। उन्होंने २७ गवाहों के बयान लिए थे। नए न्यायाधीश ने तर्क सुने और आरोप लगाए। अतः इसमें अब कोई विलम्ब होने का प्रश्न नहीं है।

श्री रंगा : क्या सरकार हमें यह आश्वासन देगी कि इस मजिस्ट्रेट का स्थानान्तरण नहीं होगा और इस प्रकार और कठिनाई पैदा नहीं की जाएगी ?

श्री हाथी : वास्तव में सरकार यह चाहती है कि स्थानान्तरण न हो और न्याय करने में विलम्ब न हो। वास्तव में इस मामले में भी हमने पश्चिम बंगाल सरकार से बातचीत की परन्तु उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के परामर्श से ऐसा किया गया है और उनको पुनः स्थानान्तरित करना या नयी नियुक्ति रद्द करना कठिन है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्योंकि सिराजुद्दीन मामले में कुछ मंत्री और बड़े सरकारी अफसर फंसे हुए हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या न्यायालय में मामला निबटने के बाद सरकार सारे मामले की उचित ढंग से जांच करेगी ?

श्री हाथी : जहां तक इस मामले का संबंध है, आरोप लगा दिया गया है। यदि अपराधी चाहे तो गवाहों से फिर जिरह की जाएगी। अन्य दो मामलों में, जो हमने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्दिष्ट किए हैं, मुकद्दमा चलाया जाएगा। इस समय जांच पड़ताल हो रही है। उसके बाद देखा जाएगा।

Shri Kachhavaiya : I want to know whether there are still some witnesses to be examined. If so, the number of witnesses and when the evidence will be over ?

Mr. Speaker : The hon. Minister has already answered this.

श्री हाथी : मैंने उत्तर दिया है कि २७ गवाहों के बयान हो चुके हैं और आरोप लगाए गए हैं।

श्री हेम बरुआ : अब जब कि श्री सिराजुद्दीन जमानत पर छूटा हुआ है और उसको व्यक्तिगत रूप से पेश होने से भी छुट मिली हुई है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार हमें यह आश्वासन दे सकती है कि श्री सिराजुद्दीन को उच्च पदों पर इन सभी व्यक्तियों पर दबाव डालने की कोशिश नहीं करने दी जाएगी और उसी समय गलत काम नहीं करने दिया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । सरकार क्या आश्वासन दे सकती है । यदि उन्हें स्वयं पेश होने से छूट है तो यह न्यायालय ने किया है । इस प्रकार काम नहीं चल सकता । सरकार इस बारे में कोई आश्वासन नहीं दे सकती ।

श्री हेम बरुआ : मैं वह आश्वासन नहीं चाहता ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया वह अपने स्थान पर बैठ जाएं ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार भारत प्रतिरक्षा नियमों का...

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । डा० सिंघवी ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : किस प्रकार और किन परिस्थितियों में इस विशेष मजिस्ट्रेट का स्थानान्तरण आवश्यक हुआ.....

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है । अगला प्रश्न ।

आसाम में सुरक्षा समस्या

4

*८४८. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री बालकृष्ण सिंह :
श्री ज० ब० सिं० बिष्ट :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हेम बरुआ :
श्री लीलाधर कटकी :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री कजरोलकर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व पाकिस्तान से अवैध रूप से आये मुसलमानों द्वारा उत्पन्न सुरक्षा समस्या का अध्ययन करने के लिए वह आसाम गए थे ;

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इस अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को वापस भेजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) मैंने अनेक समस्याओं, जिनमें पूर्व पाकिस्तान से अवैध रूप से प्रवेश करने वाले मुसलमानों की समस्या भी शामिल है, का अध्ययन करने के लिए हाल ही में आसाम का दौरा किया था ।

(ग) इस समस्या को सुलझाने के लिए जो उपाय किए जायेंगे उन पर विचार किया जा रहा है ।

श्री दी० चं० शर्मा: क्या माननीय मंत्री का दौरा जांच पड़ताल के लिए था अथवा इसका उद्देश्य समस्या को सुलझाना था ? यदि यह जांच पड़ताल के लिए था तो इससे क्या कार्य सिद्ध हुआ ?

श्री नन्दा : मैं केवल ऐसी जांच पड़ताल पर ही, जिससे कोई परिणाम न निकले, समय नष्ट नहीं करता ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या माननीय मंत्री यह बता सकेंगे कि पूर्व पाकिस्तान से अवैध रूप से कुल कितने व्यक्ति आए और उन्हें इस जानकारी का कहां से पता लगा ।

श्री नन्दा : इस सभा में पहले ही इस मामले पर चर्चा हो चुकी है और आंकड़े बताए जा चुके हैं ।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know if the hon. Home Minister, after his visit to Assam, made a statement in Calcutta or Assam that the infiltrators from Pakistan who have settled there shall be forced to go back within one year ? If so, the measures he has taken for the implementation of this categorical announcement.

Shri Nanda : I was asked to fix the date before which they may be sent back. I said that such persons have no right to live here and that they should go back. Measures in this regard were discussed, but I said that there would be difficulty in fixing any definite date because there were certain things, e.g., Construction of roads, clearing of border within one mile, which we have to do and we do not know how much time it will take. But I told the officers that I hoped that this problem would be solved after the expiration of this period.

Shri Prakash Vir Shastri : The question is what measures are being taken. How will it be possible within one year ?

अध्यक्ष महोदय : श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अवैध रूप से आये हुए व्यक्ति सीमा के पास रहने वाले व्यक्तियों से घुल मिल जाते हैं, क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि सीमा के १ मील के आस पास का इलाका खाली कराया जाये और वहां पर "वाच गार्ड" स्थापित किये जायं ?

श्री नन्दा : यह प्रस्तावों में से एक है ।

श्री हेम बरुआ : क्या माननीय मंत्री अपने हाल के आसाम के दौरे में यह सुनिश्चित कर सकें कि (क) आसाम स्थित पाकिस्तान सहायक उच्चायुक्त का कार्यालय पाकिस्तानी एजेंटों, तोड़ फोड़ करने वालों और जासूसों को संगठित करने में कहां तक सफल हुआ है, (ख) तथाकथित अवैध रूप से आये हुए व्यक्तियों के साथ कितने चीन द्वारा प्रशिक्षित पाकिस्तानी छापेमार लोग आसाम के सीमा क्षेत्र में आ गये हैं ; और यदि हां, तो क्या यह सच है अथवा क्या सरकार का ध्यान आसाम के मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि उन्होंने केन्द्रीय सरकार को यह मंत्रणा दी कि शिलोंग में पाकिस्तानी सहायक उच्चायुक्त का

कार्यालय तुरन्त ही बन्द कर दिया जाये और केन्द्रीय सरकार ने उच्च नीति के कारण ऐसा नहीं किया है और यदि हां, तो क्या यह सच है कि गृह कार्य मंत्री ने प्रधान मंत्री से बातचीत की है और इसे यथासंभव शीघ्र बन्द करने की सलाह दी है ?

अध्यक्ष महोदय : जितना याद रहा हो उतने हिस्से का जबाब दे दिया जाये।

श्री नन्दा : मुझे आखरी हिस्सा याद है और पहला भी याद आ गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जब सदस्य इस प्रकार के कई प्रश्न एक साथ पूछेंगे तो मैं मंत्री से उन सबका नहीं बल्कि किसी एक ही अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देने के लिये कहा करूंगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि वह सभी याद रख सकें तो सभी का उत्तर दें दें । (अन्त बाधा) ।

अध्यक्ष महोदय : मैं बता दिया करूंगा कि किस प्रश्न का उत्तर दिया जाये।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

श्री नन्दा : मैं ने बहुत सी बातों को देखा और स्वभावतः मैं ने उनके बारे में सरकार और प्रधान मंत्री के साथ बात चीट की ।

श्री हेम बरुआ : मुख्य मंत्री के वक्तव्य के बारे में क्या रहा ? वह बहुत महत्वपूर्ण है ।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शान्ति। मैं यह नहीं कहता कि उसका महत्व नहीं है । परन्तु यदि एक साथ कई प्रश्न पूछ लिये जायेंगे तो उनका उत्तर नहीं दिया जा सकेगा ।

श्री लीलाधर कटकी : क्या सरकार का ध्यान आसाम के कुछ समाचार पत्रों के इस समाचार की ओर गया है कि जनता में यह शंका फैली हुई है कि इन अवैध रूप से आये हुए व्यक्तियों को पहचानने और वापस भेजने में देर लगेगी ?

श्री नन्दा : यह शंका निराधार है ।

अध्यक्ष महोदय : डा० सिंघवी ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या गृह कार्य मंत्री ने अपने हाल के आसाम के दौरे में यह देखा कि राज्य सरकार की गलतियों के कारण समस्या ने बड़ा भंयकर रूप धारण कर लिया है और क्या वह न्यायाधिकरण की वर्तमान पद्धति का पुनर्विलोकन करेंगे ?

श्री नन्दा : मैं पहली बात से सहमत नहीं हूं, परन्तु कार्यवाही राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों द्वारा की जानी है । राज्य सरकार ने कुछ निर्णय कर लिये हैं और केन्द्रीय सरकार के निर्णय विचाराधीन हैं।

श्री बसुमतारी : क्या यह सच है कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा गृह कार्य मंत्री को दिये गये ज्ञापनों में एक ही मांग की गई है और वह यह कि उच्च अधिकारियों का पुनर्गठन किया जाये, उच्च स्तर पर प्रशासन में परिवर्तन लाया जाये और शिलांग में पाकिस्तान के सहायक उच्चायुक्त का कार्यालय बन्द किया जाये ?

श्री नन्दा : ये ज्ञापनों में दी गई बातों में से कुछ हैं।

श्री स्वैल : श्रीमन्, गृह कार्य मंत्री के आसाम के दौरे से उस क्षेत्र में अनुकूल वातावरण पैदा हो गया है । क्या यह सच है कि अब अनुकूल वातावरण मंद पड़ता जा रहा है क्योंकि सरकार ने अभी तक सक्रिय कोई कार्यवाही नहीं की है और इसका कारण भारत और पाकिस्तान के गृह मंत्रियों का होने वाला सम्मेलन भी है जिसमें वे आसाम में अवध रूप से आये हुए व्यक्तियों को वापस भेजने के प्रश्न पर बातचीत करेंगे और इससे अवैध रूप से आये हुए व्यक्तियों का जाना धीमा पड़ गया है ।

श्री नन्दा : मेरा विचार है कि पहले प्रश्न का विषय भी यही था । मेरा उत्तर था कि ऐसी शंका निराधार है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

प्रादेशिक भाषाओं में पुस्तकें

*८४३. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों का प्रादेशिक भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करने का कोई कार्यक्रम है ;

(ख) यदि हां, तो किन विश्वविद्यालयों ने इस प्रकार का कार्यक्रम आरम्भ किया है ; और

(ग) क्या विश्वविद्यालयों को भारत सरकार द्वारा कोई सहायता दी जाती है और यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता दी जाती है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) (क) जी, हां ।

(ख) नागपुर, गुजरात और पंजाबी विश्वविद्यालय, केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की विश्वविद्यालय स्तर के मानक ग्रन्थों की तैयारी, अनुवाद तथा प्रकाशन योजना के अन्तर्गत क्रमशः मराठी, गुजराती और पंजाबी भाषाओं में क्रमशः पुस्तकें तैयार कर रहे हैं।

आगरा, इलाहाबाद, बनारस , भागलपुर, बिहार, कलकत्ता, दिल्ली, गोरखपुर, जबलपुर, जोधपुर, कुरुक्षेत्र, लखनऊ, नागपुर, पंजाब, पटना, राजस्थान, रांची, रुड़की, सागर, मगध, विक्रम, और गुरुकुल कांगड़ी, तथा उत्तर प्रदेश, कृषि विश्वविद्यालय उपरोक्त योजना के अन्तर्गत हिन्दी में पुस्तकें तैयार कर रहे हैं।

अन्नामलाई, मैसूर, कर्नाटक और मद्रास विश्वविद्यालय क्रमशः तेलगु, कन्नड़ और तामिल में आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास के बारे में मंत्रालय की योजना के अधीन पुस्तकें तैयार कर रहे हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय देवनागरी लिपी में सिन्धी की पाठ्य पुस्तकें तैयार कर रहा है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार मंत्रालय के कार्यक्रम में सम्मिलित पुस्तकों की सूची से विश्व विद्यालयों द्वारा चुने गये शीर्षकों के संबंध में पूरा खर्च देती है। अण्य पुस्तकों के संबंध में ५० प्रतिशत से अनधिक खर्च केन्द्र द्वारा दिया जाता है ।

Article in "Din-Dunia" about Calcutta Disturbances

*849 **Shri Kachhavaiya :**
Shri Gokaran Prasad :
Shri Y. S. Chaudhary :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an article has appeared in the latest issue of "Din-Dunia" wherein a highly exaggerated account of Calcutta disturbances has been given ;

(b) whether Government have taken any steps against papers creating communal tension by publishing false news ; and

(c) if so, the nature of the steps taken ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) Yes Sir. It is true in its March issue, the Din Dunia, an Urdu monthly published from Delhi, has in an editorial given a rather exaggerated account of the communal disturbances in Calcutta but the trend of the article is to appeal to people to refrain from communal hatred and violence and, therefore, action under the law could not be justified.

(b) and (c) The press has been approached to exercise self-restraint in publishing editorials, reports, etc., that are likely to create communal tension, and this has proved generally effective. In the few instances of papers publishing such editorials or reports that have come to Government's notice, the question of taking legal action against them is under examination. The State Governments have also, from time to time, been addressed on the need to exercise vigilance over, and to take appropriate and timely action under the law against, the communal press.

Christian Missionaries

***850. Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of foreign Christian Missionaries, doctors and nurses connected with Christian organisations has increased during the last one year as compared to previous years ;

(b) If so, their number in the country separately at present ; and

(c) Whether Government have received some memoranda against these Christian missionaries, doctors and nurses working in these organisations regarding their anti-national activities ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) and (b) statement giving information for the last three years is laid on the table of the House. [*Placed in Library. See No. LT*—2614/64]

(c) No, Sir.

मेथानोल संयंत्र के लिए ऋण

*८५१. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बसवन्त :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने बम्बई के निकट मेथानोल संयंत्र बनाने के लिये भारत के उर्वरक निगम को एक नया ऋण मंजूर किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक कितनी तथा वित्तीय सहायता मंजूर की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी, हां ।

(ख) उक्त अभिकरण मेथानोल संयंत्र की विदेशी मुद्रा लागत और मुख्य उर्वरक संयंत्र के लिये अपेक्षित अतिरिक्त विदेशी मुद्रा को पूरा करने के लिये फरवरी, १९६४ में ७८ लाख डालर का ऋण देने के लिये तैयार हो गया है । ऋण करार के प्रारूप की जांच की जा रही है ?

पाकिस्तानी आप्रव्रजकों द्वारा आदिम जातियों की भूमि पर जबर्दस्ती कब्जा करना

*८५२. श्री जसवन्त मेहता :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि आसाम के आदम जाति क्षेत्रों में पाकिस्तानी आप्रव्रजकों ने आदिम जातियों के लिए रक्षित वनभूमि के बड़े क्षेत्र पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है ?

(ख) क्या यह सच है कि ये आप्रव्रजक पाकिस्तान से अवैध प्रवेश करने वालों को प्रोत्साहित करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कार्यों को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) :(क) जी हां ।

(ख) और (ग) जानकारी राज्य सरकार से अभी नहीं आई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Uniform Secondary Education

*853. Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Yashpal Singh :
Shri P. C. Borroah :
Shri D. C. Sharma :
Shri Subodh Hansda :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri Kolla Venkaiah :
Shri Bishwanath Roy :
Shri Yashvant Mehta :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 652 on the 18th December, 1963 and state :

(a) whether the recommendations of the All India Council for Secondary Education regarding the introduction of uniform secondary education throughout the counrty have been considered ;

(b) if so, the decision taken thereon ; and

(c) the steps taken to implement the same ?

The Minister of Education (**Shri M. C. Chagla**) : (a) to (c) The recommendations of the All India Council for Secondary Education have been referred for consideration to the State Governments. Their reactions are awaited.

विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता

*८५४. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा संस्था, दिल्ली से सम्बन्ध अमरीका के डा० जी० एल० थार्नटन की इस टिप्पणी पर ध्यान दिया है कि अमरीका में विद्यार्थी अनुशासनहीनता को आश्चर्यजनक माना जाता है क्योंकि वहां पर विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को अत्यधिक अनुपात में बढ़ने से पहले ही पूरा कर दिया जाता है ;

(ख) विद्यार्थियों को 'कालिज के पहले वर्षों में उलझन, संदेह तथा चिन्ता के शिकार होने देने के बजाय अमरीका के समान ही उनकी भावात्मक तथा सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) सरकार डा० थार्नटन के इन विचारों से कहां तक सहमत है कि विद्यार्थियों को शिक्षा आयोजन में भाग लेने के अवसर दिये जाने चाहियें ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) अमरीका के डा० जी० एल० थार्नटन की टिप्पणियां सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनेक बार समस्या का अध्ययन किया है और उन्होंने विश्वविद्यालयों और कालिजों को निम्न उपाय करने के लिए सुझाव दिया है :—

(१) विश्वविद्यालयों और कालिजों में किसी प्रकार के "विद्यार्थी शासन" की व्यवस्था ।

(२) विद्यार्थियों के 'डीन' की नियुक्ति करना जिसकी मुख्य जिम्मेवारी विद्यार्थियों के कल्याण की देखभाल करना और अनुशासन बनाये रखना होगी

(३) कालिजों और विश्वयवद्यालयों में प्रशिक्षित और सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तियों द्वारा व्यावसायिक और नैतिक मार्गदर्शन की व्यवस्था ।

(४) उपशिक्षकीय (ट्यूटोरियल) पद्धति की स्थापना ।

(५) शारीरिक शिक्षा और राष्ट्रीय अनुशासन की आपात की योजना को लागू करना ।

(६) एन० सी सी० आरम्भ करना ।

(७) श्रम और सामाजिक सेवा शिवर योजना को लागू करना ।

(८) युवक कल्याण कार्यवाहियों जैसे विद्यार्थियों के पर्यटन, समारोहों आदि की व्यवस्था करना ।

(ग) सरकार इस राय से सहमत है कि विद्यार्थियों को शिक्षा आयोजन पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिये ।

पट्रो-कैमिकल उद्योग 'कम्पलैक्स'

*८५५. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में पैट्रोकैमिकल उद्योग 'कम्पलैक्सज़' की स्थापना के लिये इम्पीरियल कैमिकल इंडस्ट्रीज़ तथा अन्य फर्मों से बातचीत कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन बातचीतों के क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, जहां तक गुजरात में प्रस्तावित "कम्पलैक्स" का सम्बन्ध है ।

(ख) अभी कोई निर्णय नहीं किये गये हैं, केवल प्रारम्भिक बातचीत हुई है ।

प्रशासनिक सुधार विभाग

*९५६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ४ मार्च १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ४२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा प्रशासनिक ढांचे तथा प्रक्रिया में कोई आमूल परिवर्तन करने का विचार है ;

(ख) विभाग को किस प्रकार के काम सौंपे जायेंगे; और

(ग) अन्य देशों के समान ही एकदम एक आयोग नियुक्त न करने के क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) प्रशासन सुधार विभाग को कार्य-कुशलता, बचत तथा ईमानदारी के लिए प्रशासनिक सुधार करने के निमित्त पहल करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है और यह विभाग प्रशासनिक प्रणाली की अधिक जांच का अग्रेतर व्यवस्थित आधार भी तैयार करेगा। आशा है कि विभाग प्रशासनिक ढांचे और प्रक्रियाओं में उन परिवर्तनों के लिए सिफारिश करेगा जो वह उचित समझे।

(ग) कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है जिसके आधार पर किसी विस्तृत अग्रतर जांच के बिना कार्यवाही की जा सकती है और की जानी चाहिये। प्रशासनिक सुधार विभाग उपलब्ध सामग्री पर विचार करेगा और प्रशासनिक पद्धति में अग्रेतर व्यवस्थिति जांच के लिये आधार भी तैयार करेगा।

Enquiry Commission on Education

***858. Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government propose to constitute a Commission to go into the present system of education in the country ; and

(b) if so, when it would be set up ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) It is expected to start work by 1st of October, 1964.

ईंधन के लिए गैस

***८५९. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री ११ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ५२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न तेल क्षेत्रों तथा तेलशोधक कारखानों में कितनी ऐसी गैस व्यर्थ जल कर नष्ट हो रही है जिसका ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है तथा उसमें से कितनी आसाम तेल क्षेत्र में नष्ट हो रही है; और

(ख) प्रत्येक वर्ष इस प्रकार कितने मूल्य की गैस नष्ट हो जाती है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबीर) : (क) और (ख). भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत तेल क्षेत्रों में गैस के उत्पादन से सम्बन्धित जानकारी प्रकाशित नहीं की जा सकती। जहां तक तेलशोधक कारखानों में पैदा की गई गैस का सम्बन्ध है, इसका उपयोग विभिन्न बातों पर निर्भर है जैसे कि रासायनिक संघटन, तापीय तत्व (थर्मल वैल्यू), दबाव और कारखाने का स्थान। ऐसा विचार किया जाता है कि सभी सम्बन्धित जानकारी को इकट्ठा करना कठिन है और इस में काफी समय लगेगा और परिणामों को देखते हुए, ऐसा करना लाभप्रद नहीं होगा।

अध्यापकों के लिए डाक द्वारा शिक्षा

*८६०. श्री वी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री विशन चन्द्र सेठ :
श्री द्वारकादास मंत्री :
श्री बसुमतारी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों के लिए समस्त राष्ट्र की योजना के रूप से डाक द्वारा शिक्षा पाठ्य को लागू करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) सरकार प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

पेट्रोलियम उत्पाद मूल्य ढांचा पुनर्विलोकन समिति

*८६१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री १६ मार्च, १९६४ को उनके मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर हुए वाद-विवाद के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन का विशेष ध्यान रखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य ढांचे का पुनर्विलोकन करने के लिए इस बीच दूसरी समिति गठित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन कौन हैं ; और

(ग) समित के निर्देश पद क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) से (ग) भारत सरकार ने सिद्धांत रूप में द्वितीय तेल मूल्य जांच समित नियुक्त करने का निर्णय किया है। समिति आदि के गठन पर ज्यों ही निर्णय कर लिया जायेगा, इस सम्बंध में एक औपचारिक घोषणा कर दी जायेगी ।

भ्रष्टाचार

*८६२. श्री हरिविष्णु कामत :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजनैतिक तथा अनुसूचित स्तर पर भ्रष्टाचार की समस्या को सुलझाने के लिए सक्रिय रूप से विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो मामले में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख) १६ फरवरी, १६६४ को लोक सभा में उपराष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद स्ताव पर बोलते हुए वाद-ववाद में गृह मंत्री ने केन्द्रीय राज्यों के मंत्रियों के विरूद्ध शिकायतों के संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख किया। भ्रष्टाचार की रोकथाम संबंधी रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात प्रशासन में भ्रष्टाचार रोकने के सामान्य प्रश्न पर और अधिक ध्यान दिया जायेगा ।

Junior Technical Schools

1732. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1056 on the 4th December, 1963, and state:

(a) the names of the places where these three junior technical schools were opened in Bihar ;

(b) when and where the remaining schools will be opened ; and

(c) the amount of money spent on these schools?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) (a) Patna, Muzaffarpur and Kodarma.

(b) The State Government propose to set up four Junior Technical Schools at Ranchi, Hazaribagh, Garhbanaili and Gaya during the rest of the Plan period.

(c) Rupees 5,79,198/- upto March, 1963.

उड़ीसा हाई कोर्ट

१७३३. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ दिसम्बर, १६६३ को कटक में उड़ीसा हाई कोर्ट में कितने मामले मामले विचाराधीन थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : १७४८ ।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए होस्टल

१७३४. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६६४–६५ में उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कितने होस्टल खोले जाने वाले हैं ; और

(ख) उसी अवधि में राज्य में ऐसे होस्टल बनाने के लिए सरकार ने कितनी रकम मंजूर की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) और (ख) ६.०० लाख रुपये की अनुमानित लागत से ६५ होस्टल खोले जाने वाले हैं। मंजूर की जाने वाली ठीक ठीक रकम मालूम होने में अभी कुछ समय लगेगा ।

उड़ीसा में योग्यता-तथा-साधन छात्रवृतियां

१७३५. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ में उड़ीसा की प्रत्येक टेक्निकल इंस्टिट्यूट को कितनी योग्यता-तथा-साधन छात्रवृतियां दी गयीं ;

(ख) उसी अवधि में प्रत्येक इंस्टिट्यूट को कितनी रकम दी गयी ; और

(ग) १९६४–६५ में उपर्युक्त प्रयोजन के लिए उस राज्य को कितनी रकम दी जाने वाली है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) पहले दी गयी छात्रवृतियों के नवीकरण के अलावा, योग्यता तथा साधन छात्रवृत्ति योजना के अधीन १९६३–६४ के शिक्षासत्र में उड़ीसा में टेक्निकल संस्थाओं के प्रथम वर्षीय छात्रों को दी गयी नयी छात्रवृतियों की संख्या इस प्रकार है:—

इंस्टिट्यूट का नाम	१९६३–६४ में दी गयी छात्र-वृतियों की संख्या
फर्स्ट डिग्री कोर्स के इंस्टिट्यूट	
यूनिवर्सिटी कालेज आफ इंजीनियरिंग, बरला	१६
डप्लोमा कोसज़ के लिए इंस्टिट्यूट	
१. झरसुगुडा इंजीनियरिंग स्कूल, झरसुगुडा	५
२. उड़ीसा स्कूल आफ इंजीनियरिंग, कटक	६
३. उड़ीसा स्कूल आफ माइनिंग इंजीनियरिंग, क्योंझर . . .	२
४. बरहामपुर इंजीनियरिंग स्कूल, बरहामपुर . . .	७
५. स्कूल आफ इंजीनियरिंग, भद्रक	३
६. केन्द्रपाड़ा स्कूल आफ इंजीनियरिंग, केन्द्रपाड़ा . . .	२
कुल	४१

(ख) और (ग) : १९६३–६४ और १९६४–६५ में दी गयी और दी जाने वाली रकमें नवीकरण सहित इस प्रकार हैं :—

संस्था का नाम	१९६३–६४ में दी गयी रकम	१९६४–६५ में दी जाने वाली रकम
डिग्री इंस्टिट्यूट	रुपये	रुपये
१. यूनिवर्सिटी कालेज आफ़ इंजीनियरिंग, बरला . .	४३,८७५	४८,३७५
डिप्लोमा इंस्टिट्यूट		
१. झरसुगुडा स्कूल आफ इंजीनियरिंग, झरसुगुडा . .	२,१००	५,४००
२. उड़ीसा स्कूल आफ इंजीनियरिंग, कटक . .	५,०२५	८,४००
३. उड़ीसा स्कूल आफ माइनिंग इंजीनियरिंग, क्योंझर . .	१,०५०	१,९५०
४. बरहामपुर इंजीनियरिंग स्कूल, बरहामपुर . . .	४,८७५	८,२५०
५. स्कूल आफ इंजीनियरिंग, भद्रक	१,९५०	४,५००
६. केन्द्रपाड़ा स्कूल आफ इंजीनियरिंग, केन्द्रपाड़ा . .	१,५००	२,५५०
कुल	६०,३७५	७९,४२५

विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृतियां

१७३६. **श्री गुलशन :**
श्री य० ना० सिंह :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय की छात्रवृति योजनाओं के अधीन १९६१–६२, १९६२–६३ और १९६३–६४ में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए कितने छात्रों को विदेश भेजा गया ;

(ख) उनमें से कितने छात्र अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ; और

(ग) इन सभी योजनाओं के अधीन प्रत्येक को कितनी छात्रवृति दी गयी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) (क)

१९६१–६२	२९
१९६२–६३	३६
१९६३–६४	१५३

(आज तक की स्थिति)

(ख) १९६१–६२	कुछ नहीं
१९६२–६३	१
१९६३–६४	कुछ नहीं

(ग) १. चेकोस्लोवाकिया—२१०० क्राउन प्रतिमास

२. फ्रांस—७५० फ्रान्कस प्रतिमास

३. जर्मन गणतंत्र राज्य—

(१) डमग ए० जी० १९६१ स्कालरशिप्स डी० एम० ५५० प्रतिमास

(२) डूश फिलिप्स हमबर्ग स्कालरशिप डी० एम० ३७० प्रतिमास

(३) जर्मन गणतंत्र राज्य सरकार स्कालरशिप डी० एम० ४०० प्रतिमास

(४) फिनलैंड—४२,००० से ५०,००० एफ० एम० के प्रतिमास

(५) जर्मन डेमाक्रेटिक रिपब्लिक—४७० डी० एम० प्रतिमास

(६) हंगरी—२९०० फोरिन्टस प्रतिमास

(७) पोलैंड—१५०० से २०० क्षलायटस प्रतिमास

(८) ब्रिटेन

(१) हॉकर सिडले इंन्डस्ट्रीज कामनवेल्थ स्कालरशिप—१० पौंड-६ शि० ४ पें० प्रति सप्ताह

(२) फेडरेशन आफ ब्रिटिश इन्डस्ट्रीज ओवरसीज स्कालरशिप—७०० पौंड प्रति वर्ष

(३) रोमतस रायस ग्रेजुएट अप्रेन्टिसशिप—६७५ पौंड प्रति वर्ष

(८) यूगोस्लाविया—६०,००० दीनार प्रतिमास

मिदनापुर जिले की जनगणना

१७३७. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१ की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगल के मिदनापुर जिले में प्रत्येक संघ की जनसंख्या कितनी है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति कितने हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : जनगणना में प्रत्येक संघ की जनसंख्या शामिल नहीं है क्योंकि संघों के क्षेत्राधिकारों में अकसर ही रद्दोबदल होते रहते हैं। पश्चिम बंगाल में प्रत्येक गाँव या मौजा या थाना द्वारा जनगणना प्रस्तुत की जाती है। मिदनापुर जिले के प्रत्येक थाना या पुलिस चौकी की जनसंख्या संलग्न विवरण में दी हुई है। **[पुस्तकालय में रख दिया गया। कृपया देखिये एल० टी०—२६१५/६४]**

गरीबों का कल्याण

१७३८. **श्री गो० महन्ती** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने किसी साधन परीक्षा के बिना संपूर्ण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को गरीब समुदाय का अंग मानने के सम्बन्ध में ग्राम्य समाज के गरीब अंगों के बारे में अध्ययन दल की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : सरकार ने प्रश्न में उल्लिखित सिफारिश पर काफी विचार किया है। यह निश्चय किया गया था कि अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कोई साधन परीक्षा न रखी जाये; अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति की योजनायें बहुत मामूली साधन परीक्षा निश्चित की गयी है ताकि जो लोग गरीबी की सीमा से आगे बढ़ गये हैं उन्हें गरीबों को प्राप्त होने वाला फायदा न मिले।

Conversion of High Schools into Higher Secondary Schools

1739. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri Subodh Hansda :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri P. C. Borooah :
Shri Kolla Venkaiah :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Bishwanath Roy :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 506 on the 11th December, 1963 and state the progress made in regard to the conversion of the High Schools into Higher Secondary Schools and to increase the period of secondary education upto 12 years ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : Complete information about the later progress is not available.

भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशें

१७४०. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री उन राज्यों के नाम बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की निम्नलिखित के सम्बन्ध में सिफारिशों को कार्यान्वित किया है ;

(क) स्कूल के प्रवेश पत्रों में एक स्तम्भ आरम्भ करना जिसमें छात्र की मातृभाषा का उल्लेख हो ;

(ख) शिक्षा का माध्यम बताने के लिए अभिभावकों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था ;

(ग) भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों से सभी आवेदन पत्र सुनिश्चित करने के लिए कुछ महीने पहिले ही एक रजिस्टर खोलना ; और

(घ) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए परस्पर स्कूलों में समायोजन के लिए आदेश जारी करना ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) आसाम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, केरल और उत्तर प्रदेश ;

(ख) और (ग). गुजरात को छोड़कर सभी राज्यों ने आवश्यक आदेश जारी किये हैं ।

(घ) आसाम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर और केरल ।

उर्वरक निगम द्वारा सवक्षण

१७४१. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री महेश्वर नायक :
श्री सुधांशु दास :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक निगम ने वर्तमान कारखानों के विस्तार के लिए या नये कारखानों के लिए प्रायोजना स्थलों के सम्बन्ध में कोई तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण या वांछनीयता-अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सवक्षण का क्या नतीजा निकला ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) उन स्थलों का सर्वेक्षण अभी तक पूरा नहीं हुआ है ।

बिहार में तेल के लिए खुदाई

१७४२. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त
श्री सुधांशु दास :
श्री महेश्वर नायक :
श्री विभूति मिश्र
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रायपुरे :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में तेल के लिए की गयी खुदाई का कोई नतीजा निकला है ; और

(ख) अब तक कितने कुएं खोदे गये हैं और प्रत्येक कुएं की गहराई क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) और (ख). उत्तर बिहार में रक्सौल के पास स्तर विज्ञान विषयक जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले परीक्षण कूप का छिद्रण जारी है । १५-३-१९६४ को कुएं की गहराई ४५०० मीटर तक पहुंच चुकी थी ।

शिक्षा संस्थाओं को सहायता

१७४३. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार विश्वविद्यालयों अथवा राज्यीय निकायों के अतिरिक्त कितनी शिक्षा संस्थाओं, गवेषणा संस्थाओं और अकादमियों को फिलहाल वित्तीय सहायता दे रही है ;

(ख) वह कौन कौन सी संस्थाएं हैं और कहां कहां स्थित हैं ; और

(ग) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक संस्था को कितना-कितना आवर्तक तथा अनावर्तक अनुदान दिया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Expedition to Neelkanth Peak

1744. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of Education be pleased to state : (a) whether the enquiry committee of the Indian Mountaineering Foundation has submitted its report in respect of the expedition to the Neelkanth Peak in Garhwal (U. P.) in 1961 under the leadership of Captain Narendra Kumar;

(b) if so, the conclusions thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Dr. M.N.Das) (a) Yes, Sir.

(*b*) The Committee came to the conclusion that Shri O. P. Sharma, a member of the expedition, and two sherpas accompanying the expedition, *viz.* Phurba Lobsang and Lhakpa Giyalbu Lama, had climbed the summit *i.e.* the highest point of Neelkanth peak in June 1961.

(*c*) The report of the Enquiry Committee was considered by the Sponsoring Committee of the Indian Mountaineering Foundation (a registered Society under the Societies Registration Act XXI of 1860) and the Sponsoring Committee accepted the conclusion of the Enquiry Committee.

अनैतिक पण्य दमन अधिनियम

१७४५. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने (औरतों और लड़कियों का) अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, १९५६ की क्रियान्वित की समीक्षा की हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से उस अधिनियम में संशोधन करने के लिए कोई कदम उठाये जाने वाले हैं ;

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). औरतों और लड़कियों का अनैतिक दमन अधिनियम, १९५६ में संशोधन करने के बारे में राज्य सरकार के सुझावों पर सरकार अभी विचार कर रही है ?

सेकेण्डरी स्कूलों के प्रिंसिपलों की गोष्ठी

१७४६. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिल्ली में ८ फरवरी, १९६४ को आयोजित सेकेन्डरी स्कूलों के प्रिंसिपलों की गोष्ठी की सिफरिशों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या वह सच है कि उनका $^{9}/_{१०}$ समय रोजमर्रा के प्रशासन में निकल जाता है ;

(ग) यदि हां, तो उन्हें दैनंदिन उत्तरदायित्व से मुक्त करके, शैक्षणिक स्तर के नेताओं के रूप में कार्य करने के लिए अधिक समय देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(घ) क्या वह भी सच है कि अध्यापकों और प्रिंसिपलों का अक्सर ही तबादला किया जाता है ; और

(ङ) क्या सरकार ने माध्यमिक अनुदान आयोग स्थापित करने के सुझाव पर विचार किया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क), (ख) और (ङ). सरकार को उपर्युक्त गोष्ठी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है । भाग (ख) और (ङ). में कही गयी बातों पर तभी विचार किया जायेगा जब रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) साधारणतया किसी अध्यापक या प्रिंसिपल का, उन विशिष्ट मामलों को छोड़ कर जब कि प्रशासनिक बातों के आधार पर तालमेल बैठाना असंभव होता है, ३ वर्ष तक तबादला नहीं किया जाता ।

पश्चिम बंगाल में तेल और गैस की खोज

१७४७. **डा० रानेन सेन :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० सरादीश राय :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में पश्चिम बंगाल में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग या अन्य किसी संस्था ने तेल और गैस निक्षेपों की कोई खोज की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या नतीजा निकला ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी हां ।

(ख) इन्डो-स्टैनवैक पेट्रोलियम प्रायोजना जिसके अधीन १९५७—६० के बीच पश्चिम बंगाल में एक बड़े रियायती क्षेत्र में तेल की खोज की गयी थी, समाप्त कर दी गयी थी

लेकिन तेल और प्राकृतिक गैस आयोग उपलब्ध जानकारी का पुर्नमूल्यांकन कर रहा है और भूगर्भीय सर्वेक्षण कर रहा है। अनुमान है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग पश्चिम बंगाल में भूछिद्रण कार्य शीघ्र ही आरम्भ करेगा ।

झूठा विज्ञापन

१७४८. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कछवाय :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री यू० सि० चौधरी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कलकत्ते के प्रमुख दैनिक पत्रों में प्रकाशित उस विज्ञापन की ओर दिलाया गया है जिसमें एक भारत सरकार की 'कंपनी' के लिए ५००० स्थायी पदों के लिए आवेदन-पत्र मांगे गये थे और प्रत्येक आवेदन के लिए १०० रुपये की जमानत मांगी गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह विज्ञापन सच्चा था ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार विज्ञापनकर्ता को पकड़ सकी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) मैसूर सरकार ने बताया है कि दोषी व्यक्ति के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार किया गया है और मामले की छानबीन हो रही है ।

पांडुलिपि क्रय समिति

१७४९. **श्री गो० महन्ती** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राचीन पाण्डुलिपियों और भारत विद्या के महत्वपूर्ण प्रलेखों को चुनने में केन्द्रीय सरकार को राय देने के लिए बनायी गयी पाण्डुलिपि खरीद समिति के अभिकरण विभिन्न राज्यों में होंगे ; और

(ख) क्या प्रत्येक राज्य के साहित्यिक व्यक्ति इस समिति में लिये जायेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) साहित्यिक व्यक्ति शामिल किये गये हैं लेकिन प्रत्येक राज्य से नहीं ।

इलाहाबाद के पास ग्रामीण संस्था

१७५०. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद के देहाती इलाकों में स्थापित की जाने वाली, कृषि विज्ञान तथा असैनिक और ग्रामीण इंजीनियरिंग के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की एक ग्रामीण संस्था को वित्तीय सहायता देने की केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की क्या राय है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). जी हां। कमला नेहरू मेमोरियल हास्पिटल ट्रस्ट, इलाहाबाद, के प्रबन्ध में और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से इलाहाबाद जिले में एक ग्रामीण संस्था कायम करने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई है। केन्द्रीय सरकार ने वह योजना स्वीकार कर ली है।

पत्तन पदाधिकारी, नानकौटी

१७५१. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल के एक आदेश से नानकौटी (निकोबार द्वीपसमूह) के तहसीलदार से पत्तन पदाधिकारी, नानकौटी, के काम छीन लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो नानकौटी बन्दरगाह से गैर-सरकारी नौकाओं का अनधिकृत आवागमन रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी नौकाएं विधिमान्य लेड-लाइन सर्टिफिकेट्स के बिना आसपास के द्वीपों से सामान्य माल न ला सकें और न वहां पहुंचा सकें, क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हाथी) : (क) भारतीय पत्तन अधिनियम, १९०८ की धारा ७ और ३६ के अधीन, नानकौटी के तहसीलदार को कमोरटा (नानकौटी) बन्दरगाह का संरक्षक घोषित किया गया है। कमोरटा बन्दरगाह सीमाशुल्क अधिनयिम, १९६२ की धारा ७ के अधीन सीमाशुल्क बन्दरगाह घोषित नहीं किया गया है और इसलिए नानकौटी का तहसीलदार बाद वाले अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। यह स्थिति नानकौटी के तहसीलदार को समझा दी गई है।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Compilation of Equivalents of Indian Languages

1753. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(*a*) whether any suggestion has been received by Government or the University Grants Commission for the compilation of equivalents in all the major Indian languages ;

(*b*) if so, whether Government propose to do something in this connection ; and

(*c*) the time by which a final decision is likely to be taken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (*a*) *to* (*c*) : A statement is attached [*Placed in the Library See No.* LT—2616/64.]

Nomenclature of Offices under the Ministry of Education

1754. **Shri Kachhavaiya :**
Shri Yogendra Jha :
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(*a*) the number of new offices, institutions and organisations set up under his Ministry during the last one year ; and

(*b*) the number of those out of them which have been named in English and Indian languages respectively ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (*a*) Three.

(*b*) Two have been named both in English and Hindi and one in English only.

Names of new offices and organisations

1755. **Shri Kachhavaiya :**
Shri Yogendra Jha :
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) the number of new offices, institutions and organisations set up under his Ministry during the last one year ; and

(*b*) the number of those out of them which have been named in English and Indian languages respectively ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (*a*) Two.

(*b*) The names of both these offices are at present in English.

कराई कानोल परियोजना क्षेत्र में खोज

१७५६. **श्री सोनावने :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कराई कानोल परियोजना क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल के लिये खोज की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्योरा क्या है तथा वाणिज्यिक आधार पर तेल की उपलब्धता का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अधिकारियों का केन्द्रीय 'पूल'

१७५७. श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री जेधे :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८७९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच अधिकारियों के केन्द्रीय पूल को समाप्त करने के संबंध में विचार कर लिया है और उसके संबंध में निर्णय कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है।

मद्रास में तेल शोधक कारखाना

१७५८. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री २७ नवम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २३४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में एक तेल शोधक कारखाने के स्थापना स्थान के बारे में इस बीच जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर): (क) और (ख). मामला विचाराधीन है।

C. S. I. R.

1759. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri P. R. Chakraverti :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(*a*) whether any additions and alterations have recently been made in the Council of Scientific and IndustrialResearch building to provide accommodation for the Director-General, Scientific and Industrial Research and his staff, where a fish pond has also been provided ;

(*b*) whether furniture for the room of the Director-General is also coming from Hyderabad ; and

(*c*) the expenditure incurred so far on these items ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) :

(*a*) Consequent on the shifting of the University Grants Commission and the Publications Division from the main building of the C.S.I.R., a redoing

and reorganisation of the accommodation thus made available became necessary. Advantage was taken of this opportunity to make some alterations and to refit the whole of the second floor to accommodate the director General with his personal staff and six senior technical officers with their staff who work closely with him (out of whom five were fresh additions) to cope with the expansion in the activities of the Council of Scientific and Industrial Research and to deal with various scientific and technical problems which concern the functioning of the C.S.I.R. In this process, a small space was converted into a decorative tank.

(*b*) Yes, Sir.

(*c*) The total expenditure on additions and alterations including civil works, electrical and sanitary fittings and air conditioners and furniture is Rs. 97,440·38 nP.

Key-Board for Hindi Typewriters

1760. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(*a*) the number of years for which the work of standardisation of the new key board of Hindi Typewriters has been in progress ;

(*b*) whether some changes are proposed to be made in the key-board that was finalised a few years back ; and

(*c*) the reasons for delay in the manufacture of Hindi typewriters with a new key-board and when these new typewriters are likely to be made available in the market ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (*a*) *to* (*c*).

A committee was appointed in 1955 for evolving a Standard Key-board for Hindi Typewriters based on the recommendations of the Devanagari Script Reform Conference held at Lucknow in November, 1953. The committee submitted its final report in December, 1956. The key-board recommended by the committee was accepted by the Government of India and a press note announcing it was issued in March, 1957. Subsequently on account of reform in Devanagari Script, in accordance with the decisions arrived at the Education Ministers' Conference held in August, 1959, the key board was modified in 1960.

The key-board as modified on the basis of reformed Devanagari script was not acceptable to various Typewriter manufacturing concerns of the country as it involved major alternations in the design and construction of the existing type-writers. A fresh key-board was, therefore, evolved in consultation with the manufacturers which was announced in January, 1962.

Subsequently the Maharashtra Government also prepared a tentative key-board for Marathi Typewriters using Devanagari script. Having two different key-boards for the same characters (*i.e.* Devanagari) was not considered advisable and, therefore, a meeting was held between the representatives of the Government of India and the Government of Maharashtra in November, 1963 to evolve an agreed single key-board. The new Devanagari (Hindi-Marathi) key-board has since been finalised and announced on 16-3-64. Copies of the Devanagari key-board together with Art Designs of Devanagari characters have been supplied to the Ministry of Industry who would look to the work of production of Hindi Typewriters.

अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाएं

१७६१. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९६३ से ३१ मार्च, १९६४ तक की अवधि में आई० ए० एस०, आई० एफ० एस०, आई० ए० ए० एस०, आई० पी० एस, तथा सी० एस० एस० की संघ लोक सेवा आयोग की अखिल भारतीय सेवा की लिखित परीक्षाओं में कितने अभ्यर्थी बैठे थे;

(ख) लिखित परीक्षा कितने अभ्यर्थियों ने पास की थी और कितने मौखिक परीक्षा के लिए बलाये गये थे ; और

(ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कितने अभ्यर्थी लिखित परीक्षाओं में पास हुए थे और मौखिक परीक्षण के लिए बुलाये गये थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) अक्तूबर/नवम्बर, १९६३ में भारतीय प्रशासन सेवा आदि परीक्षाओं में ४२२८२ अभ्यर्थी बैठे थे ।

(ख) लिखित परीक्षा के परिणामस्वरूप आयोग ने ८५२ अभ्यर्थियों का मौखिक परीक्षण करने का निर्णय किया था ।

(ग) लिखित परीक्षा के आधार पर मौखिक परीक्षण के लिये अनुसूचित जातियों के २०२ अभ्यर्थी तथा अनुसूचित आदिम जातियों के ४२ अभ्यर्थी बुलाने का आयोग ने निर्णय किया था ।

संघ राज्य-क्षेत्रों में आत्महत्यायें

१७६२ { **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों में संघ राज्य क्षेत्रों में भूख के कारण आत्महत्या का कोई मामला हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Assam a part of China in text books

1763. { **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri P. R. Chakraverti :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(*a*) whether his attention has been drawn to the news item published in the daily 'Hindustan', dated the 31st December, 1963 under the heading 'Assam a Part of China in Text Books';

(*b*) if so, the names of the publishers and authors of those books and when they were published and other details in this regard;

(*c*) whether these books are still in circulation; and

(*d*) the action taken so far against their authors and publishers?'

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Smt. Soundram Ramachandran). (*a*) *to* (*d*). The facts are being ascertained from the Government of West Bengal.

मद्रास को संगीत नाटक अकादमी का अनुदान

१७६४. **श्री धर्मलिंगम :**
श्री मुतुगौंडर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६२ तथा १९६३-६४ में राज्य में नाटकों की उन्नति के लिये मद्रास की संगीत नाटक अकादमी ने क्या कोई वित्तीय सहायता दी थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धन राशि मांगी गई थी ; और

(ग) दोनों वर्षों में प्रत्येक में कितनी-कितनी राशि की व्यवस्था की गई थी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) संगीत नाटक अकादमी क्षेत्रीय अथवा राज्य आधार पर अनुदान नहीं देती है । वे संस्थाओं को दी जाती हैं ।

(ख) और (ग). १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में नाटकों की उन्नति के लिये मद्रास राज्य की विभिन्न संस्थाओं को दिए गए अनुदान नीचे दिए जाते हैं :—

वर्ष	संस्थाओं द्वारा मांगा गया अनुदान	अकादमी द्वारा स्वीकृत राशि
१९६२–६३ . . .	८२,५५६ रुपये	२२,४८० रुपये
१९६३–६४	८४,२५४ रुपये	२०,९०० रुपये

व्यावहारिक मानव विज्ञान का अध्ययन

१७६५. **श्री ह० च० सोय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय स्तर पर व्यावहारिक मानव-विज्ञान का कितना अध्ययन किया जा रहा है जिस से हमारे भावी प्रशासन को विशेषतया बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं की पर्याप्त जानकारी हो सके ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : आन्ध्र, दिल्ली, कर्नाटक, लखनऊ, मद्रास, पंजाब, रांची, कलकत्ता, गोहाटी, उत्कल तथा सागर विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर पर मानव-विज्ञान पढ़ाया जाता है । अन्तिम पांच विश्वविद्यालय प्रश्न में उल्लिखित राज्यों में हैं ।

अध्ययन के क्षेत्र तथा विशिष्टता में भौतिक मानव-विज्ञान तथा सामाजिक मानव-विज्ञान शामिल हैं जो व्यावहारिक हैं और जिन का उद्देश्य देश की सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्थिति तथा समस्याओं का विद्यार्थियों को ज्ञान कराना है ।

नाइट्रोजन उर्वरक के मूल्य

१७६६. श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में सरकार द्वारा आरम्भ की गई नाइट्रोजन उर्वरक की मूल्य नीति क्या है ;

(ख) क्या नीति में कोई परिवर्तन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या गैर-सरकारी उर्वरक कारखानों के लाइसेंसधारियों ने इस नीति में परिवर्तन करने के लिये कहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) यह निर्णय किया गया है कि जब तक केन्द्रीय-उर्वरक पूल चालू है तब तक गैर-सरकारी कारखानों में उत्पादित उर्वरक ऐसे मूल्य पर खरीदा जायेगा जो गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों में उत्पादित उर्वरक के लिये दिया जाता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंजाब में जूनियर टैक्निकल स्कूल

१७६७. श्री दलजीत सिंह : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में अब तक कितने जूनियर टेक्निकल स्कूल खोले गये थे ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में ऐसे कितने स्कूल खोलने का विचार है ; और

(ग) ये किन स्थानों पर स्थापित होंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) तीन ।

(ख) एक ।

(ग) राजपुरा में ।

हरिजनों के लिये मकान

१७६८. श्री प० कुन्हन :
श्री वरिप्पा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना में हरिजनों के लिए मकान बनाने के लिये कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ;

(ख) अब तक इस रक़म में से कितनी खर्च की गई है ; और

(ग) अब तक कितने मकान बनाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तीसरी योजना में हरिजनों के लिये मकान बनाने के लिए ५३१ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

(ख) ३१ मार्च, १९६३ तक की अवधि अर्थात् योजना के पहले दो वर्षों में १७१.५८ लाख रुपया व्यय किया गया था । ३१ मार्च, १९६४ की स्थिति का अभी पता नहीं है ।

(ग) १९६१—१९६३ तक १३,१७२ मकान बनाये गये हैं ।

भारतीय आर्थिक सेवा

१७६९. श्री हरि विष्णु कामत : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय आर्थिक सेवा से सम्बन्धित नियम किस तिथि से गज़ट में अधिसूचित किये गये थे ;

(ख) अनुसूची में शामिल करने के लिये कितने पदों को अन्ततः स्वीकार किया गया ;

(ग) क्या उक्त सेवा के लिए नियुक्तियों का चुनाव संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया था और यदि नहीं, तो किसने किसने किया था ;

(घ) सेवा के लिये चुने गये व्यक्तियों को सेवा में पदों पर नियुक्त करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ङ) नियुक्तियां किस तिथि से गज़ट में प्रकाशित होंगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) भारतीय आर्थिक सेवा के नियम १ नवम्बर, १९६१ के भारत के असाधारण, गजट में अधिसूचित किये गये थे ।

(ख) ३२४ ।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गठित चुनाव समिति ने चुनाव किये थे । उनकी सिफारिशों को अन्ततः आयोग ने स्वीकार कर लिया था ।

(घ) और (ङ). आरम्भिक गठन पर सेवा में नियुक्तियां १७ फरवरी, १९६४ को अधिसूचित की गई हैं । इन को पहले अधिसूचित नहीं किया जा सका था क्योंकि सेवा के आरम्भिक गठन से सम्बन्धित कुछ प्रश्न विचाराधीन थे ।

पंजाब में युवक होस्टल

१७७०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में युवक होस्टलों के निर्माण के लिये पंजाब राज्य को कितना धन दिया गया था ; और

(ख) वर्ष में ये होस्टल किन स्थानों पर बनाये गये हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ई० एन० आई० के प्रेजीडेंट का भारत का दौरा

१७७२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई० एन० आई० इटली की कम्पनी के प्रेजीडैण्ट ने हाल में ही भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उन के दौरे का क्या उद्देश्य था ; और

(ग) उनके साथ बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी हां ।

(ख) दौरा सद्भावना का था परन्तु इस का मुख्य उद्देश्य भारत में सरकारी क्षेत्र में तेल के विकास को देखा था तथा देश में तेल परियोजनाओं के लिए ई० एन० आई० द्वारा दी गई ऋण सुविधाओं के प्रयोग के प्रश्न पर चर्चा करना था ।

(ग) ई० एन० आई० ऋण के अधीन नई परियोजनाओं पर तकनीकी स्तर पर चर्चा की जा रही है ।

गन्दी गैस का साफ किया जाना

१७७३. **श्री रा० बरुआ** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेलशोधक कारखानों का विचार गोहाटी तेलशोधक कारखाने में गन्दी गैस की सफाई के लिये एक कारखाना स्थापित करने का है ;

(ख) क्या ऐसे कारखाने के परियोजना प्रतिवेदन स्वीकार किए गए हैं ; यदि हां, तो कारखाने के कब से चालू हो जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या गन्दी गैस की बरबादी के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) और (ख). परियोजना प्रतिवेदन बनाया जा रहा है ।

(ग) १९६२ में ४.८१५ मीट्रिक टन गैस तथा १९६३ में ८,१६० मीट्रिक टन गैस जला दी गई थी ।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन का स्कूल

१७७४. **श्री बृजराज सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ से अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन के भारतीय स्कूल को सरकार द्वारा कितना धन दिया गया तथा उन को राज्य सरकारों से कितना अनुदान मिला ;

(ख) इसी अवधि में किन विदेशों से स्कूल को कितने अनुदान इसी अवधि में मिले ;

(ग) इसी अवधि में स्कूल के अध्यापकों द्वारा किए गए विदेशों के दौरों पर कितना धन व्यय किया गया और इन दौरों से क्या काम किया गया ; और

(घ) वास्तविक निर्माण की आज तक की प्रगति क्या है और विद्यार्थियों के होस्टलों पर कितना धन व्यय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संधारण अनुदान .	२२,१३,८७८ रुपये ६८ न०पै०
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिया गया फैलोशिप अनुदान . . .	३४,९०० रुपये ०१ न०पै०
केन्द्र सरकार द्वारा छात्रवृत्तियां अनुदान	७९,६६८ रुपये ०४ न०पै०
राज्य सरकारों द्वारा छात्रवृत्तियां अनुदान .	९४,४२६ रुपये ८२ न०पै०

(ख)	अमरीका	२०,४५,५३२ रुपये ४३ न०पै०
	ब्रिटेन	४१,९३१ रुपये ५० न०पै०
	कनाडा	११,३६८ रुपये

(ग) ३,११,१६३ रुपये ९१ न०पै० । क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर स्कूल का कार्यक्रम बनाया जाता है । जिसके अनुसार अध्यापकों को अनुसंधान परियोजनाओं के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अनुसंधान करने के लिए तथा अनुसंधान सामग्री की जानकारी के लिये तथा विदेशों में छात्रों तथा संस्थाओं की जानकारी के लिये भेजा जाता है ।

(घ) विद्यार्थी होस्टलों के भवन के नक्शे नई दिल्ली नगरपालिका समिति को स्वीकृति के लिये भेज दिये गये हैं । आरंभिक व्यय के रूप में अब तक ५,६२१ रुपये ५८ नये पैसे व्यय किये गये हैं ।

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी

१७७५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश तथा अन्य स्थानों पर किन अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों ने गत छः महीनों में सेवानिवृत्ति से पहले ही सेवानिवृत्त होने की इच्छा प्रकट की है; और

(ख) उन्होंने क्या कारण बताये हैं और मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-२६१७/६४]**

दिल्ली में लार्ड इर्विन की मूर्ति

१७७६. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् भवन के बाहर लार्ड इर्विन की मूर्ति को हटाने का विचार है क्योंकि इसको तोड़ दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब और इसको हटा कर कहां पर ले जाया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). इस मूर्ति को हटाने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसी मूर्तियों को हटाने के बारे में नीति यह है कि जब संग्रहालयों में इनको हटा कर रखने के लिए स्थान उपलब्ध हो जायेगा तब इनको हटाया जायेगा।

Directors of Education in Delhi

1777. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :—

(a) The number of Directors of Education under Delhi Administration and the salary paid to each of them and the number of those out of them who are on deputation ; and

(b) whether it is a fact that the Directors of Education are brought from Uttar Pradesh and Rajasthan and other States on deputation and if so, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Only one in the scale of Rs. 1300—60—1600. The incumbent is not now on deputation.

(b) Officers are brought on deputation, because amongst officers of the Education Department of Delhi Administration suitable officers are not available for promotion to the post of Director.

संसद-भवन केनिकट सार्वजनिक प्रदर्शन

१७७८ { डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी: / श्री किशन पटनायक : / श्री रामसेवक यादव : / श्री यू० ना० मण्डल : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १३ मार्च, १९६४ को संसद् भवन के बाहर प्रदर्शन में भाग लेने के कारण कुछ सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार तथा नजरबन्द किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो किन सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार तथा नजरबन्द किया गया था तथा किन स्थानों पर;

(ग) इन सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को किन आरोपों पर गिरफ्तार तथा नजरबन्द किया गया था;

(घ) क्या १३ मार्च, १९६४ को संसद् भवन अथवा इससे बाहर जिलाधीश ने सार्वजनिक सभा न करने के सम्बन्ध में प्रतिषिद्ध आदेश जारी किये थे; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे आदेश किन परिस्थितियों में जारी किये गये थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण संबद्ध है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० २६१८/६४]

(घ) जी हां ।

(ङ) संसद्-भवन के आसपास बहुत यातायात होने, बिना किसी प्रतिबन्ध के बैठक, जलूस तथा प्रदर्शन करने के कारण मानव सुरक्षा तथा भीड़भाड़ को खतरा पैदा होता है । इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि वहां पर सार्वजनिक बैठकें, प्रदर्शन अथवा जलूस निकालने पर प्रतिबन्ध लगाया जाये । तदनुसार दिल्ली के अतिरिक्त जिलाधीश ने ४ जनवरी, १९६४ को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन ७ जनवरी, १९६४ से प्रतिषिद्ध आदेश जारी किये थे । इन आदेशों को ७ मार्च, १९६४ से दिल्ली प्रशासन की अधिसूचना संख्या एफ० २(४)/६४–होम के अनुसार एक वर्ष और के लिये लागू कर दिया था ।

राज्यों में सतर्कता निकाय

१७७९. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या गृह-कार्य मंत्री १९ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या १८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतर्कता निकायों की स्थापना के बारे में सभी राज्य सरकारों के उत्तर मिल गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका सारांश क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० २६१९/६४]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

शेख अब्दुल्ला की रिहाई

श्री जसवन्त मेहता (भावनगर) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"शेख अब्दुल्ला की रिहाई के बारे में कथित निर्णय।"

बिना विभाग के मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : पिछले कुछ दिनों से शेख अब्दुल्ला की रिहाई के सिलसिले में जम्मू तथा काश्मीर राज्य और भारत सरकार के बीच बातचीत चल रही है। राज्य सरकार समझती है कि शेख अब्दुल्ला की रिहाई से राज्य के वातावरण में सुधार हो जायगा। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों की दृष्टि से भारत सरकार ने इस विषय में निर्णय लेने की बात राज्य सरकार पर छोड़ दी है। राज्य सरकार ने शेख अब्दुल्ला एवं अन्य लोगों के विरुद्ध चल रहे मुकद्दमे को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस सिलसिले में न्यायालय की राय जानने के लिये जम्मू तथा काश्मीर के महाधिवक्ता ने अभ्यावेदन किया है।

श्री जसवन्त मेहता : क्या इस मामले में भारत सरकार की राय ली गई थी और क्या सरकार ने वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में शेख अब्दुल्ला के विचार जानने की चेष्टा की है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : भारत सरकार से उन्होंने राय तो ली थी परन्तु हम ने शेख अब्दुल्ला के विचार जानने की चेष्टा नहीं की।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में वैधिक राय प्राप्त की गयी थी और, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जम्मू तथा काश्मीर राज्य द्वारा वैधिक राय ली गयी होगी चूंकि वहीं से यह घोषणा की गयी और न्यायालय में अभ्यावेदन भी वही कर रहे हैं।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : The Government have spent crores of rupees on the case against Sheikh Abdullah. Now, if he is released without any judgment, it will lower the prestige of this country in the eyes of the world. May I know the reason why the Government is compelled to release him? Is it due to some political pressure or the mental imbalance of our Prime Minister?

Shri Lal Bahadur Shastri : There is no question of any kind of political pressure. In fact, Sheikh Abdullah was arrested by the State authorities and it is the State Government which have decided to release him. The Government of India was of course consulted in all matters, but it is not our intention to stand in their way. Problems of such magnitude cannot be solved by pressure. So far as Kashmir is concerned, it is an integral part of India. There is no question of going back from this stand.

Shri Prakash Vir Shastri : On a point of order. I had asked whether the Parliament will be taken into confidence before Sheikh Abdullah is released and before any new decision is taken regarding Kashmir. That has not been answered.

Mr. Speaker : That has been answered.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : क्या शेख अब्दुल्ला को कुछ शर्तों के साथ रिहा किया जायेगा या बिना शर्त के ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री: : हमें यही बताया गया है कि उन्हें बिना शर्त के रिहा किया जायेगा ।

श्री पें० वंकटा सुब्बया (अदोनी) : शेख अब्दुल्ला की रिहाई पर कुछ पाकिस्तानी पक्ष के दल प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिये जम्मू तथा काश्मीर राज्य में विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये सरकार का कौन से कदम उठाने का विचार है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : कुछ थोड़े से लोग ऐसे हैं जो आपत्तिजनक नारे लगाते हैं। परन्तु वहां की आम जनता हमारे साथ है। इस विषय में श्री सादिक से बात भी हुई थी। यदि राज्य में किसी के द्वारा गड़बड़ पैदा करने का प्रयत्न किया गया तो राज्य द्वारा कार्यवाही की जायगी ।

Shri Bade (Khergone) : Sheikh Abdullah was arrested for his objectionable activities and the Government was not prepared to release him because of the apprehension that he may not behave in his old manner after being released. Is it a fact that now he is being released due to pressure put by Shri Talbott? I also want to know whether other parties of Jammu were consulted in the matter?

Shri Lal Bahadur Shastri : Shri Talbott had nothing to do in the matter. It is a matter concerned with our own country. About the second part of the question, no other political party was consulted in the matter. It is however clear from the news reports that Shri Karra and Shri Dogra of Praja Parishad had held consultations with each other.

श्री वारियर (त्रिचूर) : क्या राज्य सरकार द्वारा यह बात स्पष्ट की गयी है कि शेख अब्दुल्ला की रिहाई से वहां की स्थिति में किस तरह सुधार होगा ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : : मैं सभी कारण तो नहीं बता सकता । परन्तु राज्य सरकार यह समझती है कि उसकी रिहाई से स्थिति बेहतर होगी।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : क्या यह खबर सही है कि जब शेख अब्दुल्ला की रिहाई की सूचना भारत सरकार को मिली तो उसे हैरानगी हुई थी ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह ठीक है कि हमें इस बात का ज्ञान नहीं था कि यह खबर समाचारपत्रों को कल ही दे दी जायगी, परन्तु अन्य सब बातों की जानकारी हमें थी।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : मैं जानना चाहता हूं कि शेख अब्दुल्ला की रिहाई का प्रश्न कब से राज्य सरकार के विचाराधीन था ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : पिछले कुछ दिनों से इस बारे में विचार हो रहा है। १½ वर्ष पूर्व जब बख्शी गुलाम मुहम्मद प्रधान मंत्री थे तब भी यह प्रश्न उठा था। उस के बाद कई बार इस बारे में विचार-विमर्श होते रहे। बातचीत के बारे में शेष ब्योरा देना उचित नहीं होगा।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : एक औचित्य का प्रश्न। मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इसी विषय से संबंधित प्रस्ताव की सूचना शनिवार को दी थी क्या उन के नाम आज की सूचि में शामिल किये गये हैं ? हम ने जो सूचना दी थी उस के बारे में हमें बताया ही नहीं गया कि वह स्वीकृत हुआ या नहीं। परन्तु आज यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : उस समय बात और थी और आज स्थिति भिन्न है, यह बात श्री कामत को महसूस करनी चाहिए।

श्री हरि विष्णु कामत: शेख अब्दुल्ला की रिहाई की खबर एक सप्ताह से छप रही है। मैं ने दो बार सूचना दी . . . . (अन्तर्बाधा)

अध्यक्ष महोदय : शेख अब्दुल्ला की रिहाई के सिलसिले में विचार किये जाने की बात और है। परन्तु कल को स्थिति यह है कि उन्हें रिहा करने के बारे में वक्तव्य दिया गया है। इसलिये पहली और अब की स्थिति में अन्तर है।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrakhabad) : On a Point of Order, Sir. It appeared in today's newspapers that the hon. Minister would make a statement and that supplementaries would be allowed. Therefore, I did not give my name.....

Mr. Speaker . I could give chance to only those Members who gave me notice. About the newspaper report, I have to say that I could not rely on the news that appeared in the Press.

Shri Prakash Vir Shastri : On a Point of Order, Sir. I wanted an assurance fom the hon. Prime Minister that Parliament will be taken into confidence before any new decision is taken regarding Kashmir. But nothing has been said in this regard. This is such a matter that minds of the people are greatly exercised over it. I request that the Prime Minister should make the position clear about it.

Mr. Speaker : This is a State subject and hence cannot be discussed here. **(अन्तर्बाधायें)**

Shri Bade : On a Point of Order, Sir. When somebody gives his opinion as a Prime Minister, the Parliament also becomes a party to that. Therefore the Parliament should also be taken into confidence.

Mr. Speaker : This is no Point of Order.

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : एक औचित्य का प्रश्न ! काश्मीर को भारत से मिलाने का प्रश्न समूचे भारत की सुरक्षा का प्रश्न है, इसलिये इस विषय में कोइ कार्यवाही करने से पूर्व संसद को विश्वास मे लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और रिहाई का प्रश्न है जो राज्य की विधि तथा व्यवस्था का प्रश्न है और यह मामला राज्य सरकार से सम्बद्ध है।

Shri Bade : I have only one point. (अन्तर्बाधा)

Mr. Speaker : Order, order. I cannot allow any more discussion now. Since we have done with one item of business, no point of order can be raised now.

श्री हरि विष्णु कामत : यह एक महत्वपूर्ण विनिर्णय है जिस से हमारे भावी कार्य संचालन पर असर पड़ेगा। जब यह एक राज्य का विषय है तो वह यहां कैसे उठाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है। (अन्तर्बाधायें)

Dr. Ram Manohar Lohia : On a Point of Order, Sir. It is cannected with Indo-Pak as well as Kashmir policy. (अन्तर्बाधायें)

Mr. Speaker : I have said that since we have done with one item, no point of order can be raised now.

सभा पटल पर रखा गया पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE.

वर्ष १९६१–६२ के लिये भारतीय संग्राहलय, कलकत्ता के प्रन्यासी बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं वर्ष १९६१–६२ के लिए भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के प्रन्यासी बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० २६१३/६४]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS.

उन्तालीसवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का उन्तालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

STATEMENT BY MINISTER

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : डाक तथा तार विभाग संबंधी अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि उस पदाधिकारी को, जिस ने पत्र लिखे थे, पहले ही उस के पहले पद पर भेज दिया गया है। परन्तु मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। वास्तव में मैं ने आदेश जारी कर दिये हैं कि उस पदाधिकारी को पहले पद पर भेजने के लिये कार्यवाही की जाय। इस बारे में जो नियम हैं उन के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं ने यह साबित करने की कोशिश की थी कि यह पदाधिकारी किसी की मुहब्बत में गिरफ्तार है। चूंकि इस पदाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने में समय लगेगा इसलिये क्या तब तक इसे मुअत्तिल कर दिया जायगा ?

श्री अ० कु० सेन : नियम के अनुसार जिस अधिकारी को निम्न पद पर लाना होता है उसे मुअत्तिल नहीं किया जाता। परन्तु उस अधिकारी को निम्न पद पर लाने के लिये विभागीय निर्णय ले लिया गया है और नियमानुसार अन्य कार्यवाही की जा रही है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : एक औचित्य का प्रश्न। जहां तक मैं जानता हूं निदेश संख्या ११५, जिस के अन्तर्गत ऐसे मामले आते हैं, इस मामले में लागू नहीं होता। इसलिये भविष्य में ऐसी कठिनाई को दूर करने की दृष्टि से क्या नियमों में संशोधन किया जायगा ?

श्री अ० कु० सेन : हम ऐसे मामलों को अवशिष्ट शक्तियों के अन्तर्गत निबटाते रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : इस के लिये एक विशेष नियम क्यों न बना दिया जाय ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

समिति के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद्

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि शिक्षा मंत्रालय के समय-समय पर संशोधित दिनांक ३० नवम्बर, १९४५ के संकल्प संख्या एफ १६-१०/४४ ई० तीन के पैरा ३ के खंड झ(च) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, ३० अप्रैल, १९६४ से आरम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि तक उक्त संकल्प के अन्य उपबंधों के अधीन अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि शिक्षा मंत्रालय के समय समय पर संशोधित दिनांक ३० नवम्बर, १९४५ के संकल्प संख्या एफ० १६–१०/४४ई० तीन के पैरा ३ के खंड झ(च) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य ऐसी रीरत से जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, ३० अप्रैल, १९६४ से आरम्भ होने वाली तीन वर्ष को अवधि तक उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अनुदानों की मांगें—जारी
DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

सम्भरण तथा प्रविधिक विकास विभाग

अध्यक्ष महोदय : इन दोनों विभागों की मांगों पर एक साथ चर्चा होगी। जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वह ऐसा कर दें और यदि वह अन्यथा ग्राह्य हुए तो उन्हें स्वीकार हुआ माना जायेगा ।

वर्ष १९६४–६५ के लिये सम्भरण विभाग तथा प्रविधिक विकास विभाग की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१०३	संभरण विभाग	४७,२३,०००
१०४	संभरण तथा निपटान	३,२४,२८,०००
१०५	संभरण विभाग का अन्य राजस्व व्यय	९,५४,०००
१०६	प्रविधिक विकास विभाग	२,८२,०००
१०७	प्रविधिक विकास विभाग का अन्य राजस्व व्यय	४०,८६,०००

श्री वारियर (त्रिचूर) : यदि सरकार का विचार सम्भरण एवं तकनीकी विकास विभागों में समन्वय लाने का था तो इस मंत्रालय को काम पूरे करने के लिये अधिक शक्तियां प्रदान करनी चाहिये थीं। उदाहरणत: उद्योगों के लिये लाइसेंस देने के सिलसिले में मंत्रालय का हाथ नहीं है। मैं समझता हूं कि उस मंत्रालय पर किया जाने वाला एक बोझा ही है।

[श्री वारियर]

सम्भरण के क्षेत्र में ४ बड़े संस्थान इस मंत्रालय के अधीन हैं। जो काम कि अधिक विस्तृत है। माल खरीदने और सम्भरण के मामले में इस विभाग द्वारा बहुत विलम्ब किया जाता है। यह मामला प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति के समक्ष भी आया है। यहां के महानिदेशक के कार्य-संचालन में ही नहीं वरन् लन्दन और वाशिंगटन में हमारी मिशनों के कार्य-संचालन में भी सुधार लाने की आवश्यकता है।

भारत सरकार के कुछ बड़े विभाग, विशेषरूप से रेलवे और आयुध कारखाने (आर्डनेन्स फैक्टरीज़) अपनी आवश्यकता का सामान संभरण विभाग द्वारा नहीं मंगाते हैं क्योंकि वह अपने काम में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि संभरण विभाग सामान मंगाने में विलम्ब करता है।

आज हमारी आर्थिक दशा ऐसी है कि विलम्ब एक अभिशाप बन गया है क्योंकि इससे भ्रष्टाचार की उत्पत्ति होती है। संभरण विभाग में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिये। विभाग को इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिये कि कौन-कौन सी वस्तुएं देश में प्राप्त हो सकती हैं और कौन-कौन सी विदेशों से मंगानी पड़ेंगीं। विदेशों से सामान मंगाने से पहले अच्छी तरह छानबीन करने के बाद विदेशों से वही वस्तुएं मंगानी चाहिये जो भारत में नहीं बनाई जा सकती हैं। इस से कार्य आसान हो जायेगा और किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होगा।

सरकार के सभी विभागों को संभरण विभाग के द्वारा सामान मंगाना चाहिये यदि प्रत्येक विभाग अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिये स्वतन्त्र रूप से सामान मंगाने लगेगा तो व्यय में कुछ गुना वृद्धि हो जायेगी।

यह खेद की बात है कि संभरण विभाग कभी-कभी गैर-सरकारी ठेकेदारों को सन्तुष्ट करने के लिये उनसे सामान खरीदता है जब कि आयुध कारखाने अथवा सरकार का कोई अन्य उपक्रम, उतनी ही कीमत पर वह सामान दे सकता है। संभरण विभाग को सामान खरीदने के बारे में सरकारी उपक्रमों को प्राथमिकता देनी चाहिये।

लन्दन स्थित स्टोर्स विभाग के बारे में कुछ शिकायतों की जांच करने के लिये नियुक्त की गई शिवशंकर समिति ने सिफारिश की थी कि इस विभाग का तथा वाशिंगटन स्थित इंडिया सप्लाई मिशन दोनों का कार्य संभरण तथा निपटान महानिदेशक, नई दिल्ली को हस्तान्तरण कर देना चाहिए। सरकार ने इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की है?

मुझे इस बात का पता नहीं कि इसकी ओर ध्यान दिया गया है अथवा नहीं। मुझे यह भी पता नहीं कि कोई सिफ़ारिशों को कार्यान्वित भी किया गया है अथवा नहीं? और दूसरी बात यह है कि सभी भारत से बाहर जाना चाहते हैं और बाहर जाकर फिर वे वापिस आने में संकोच करते हैं। पता नहीं, कि क्या बात है, वहां वेतन अधिक मिलता है अथवा वहां का जीवन आकर्षक है। आखिर इस मनोवृत्ति का क्या कारण है, इसका पता किया जाना चाहिए। विकास कक्ष का प्रतिवेदन बहुत ही

खराब है यद्यपि करोड़ों रुपये इस विभाग पर खर्च किये गये हैं । इस दिशा में क्या हो रहा है, इस बारे में सदन को अथवा जनता को कुछ न कुछ बताया जाना चाहिये । केवल छोटे से प्रतिवेदन पर ही मांग के पक्ष में मत दे देना ठीक नहीं । सारे मामलों का विस्तार से पता लगाना चाहिये ।

प्राक्कलन समिति ने ठीक ही कहा है कि यह विभाग वाणिज्य मंत्रालय का एक भाग रहा है । इसके निदेशक और भी कई एक बोर्डों और समितियों पर हैं । एक ही समय बहुत सी बातों की ओर ध्यान देने के कारण उत्तरदायित्व तो बढ़ जाता है परन्तु ध्यान बट जाता । जो लोग वरिष्ठ औद्योगिक परामर्शदाता हैं, १४० दिनों में ७० दिन तक दौरों पर रहते हैं । फिर और काम निपटाने में भी समय लगता है ।

कई एक जगह तो बड़ी अजीब बातें प्रतिवेदन में मिलती हैं । मेरा निवेदन है कि मंत्रालय को इस बात पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि इसका कोई अस्तित्व होना चाहिए । यदि मंत्रालय के अस्तित्व का कोई औचित्य है तो हमें बताया जाए कि इस विभाग ने क्या प्रगति की है और इस को ठोस रूप में सफलतायें क्या हैं । आशा करनी चाहिये कि अगली बार इस दिशा में अच्छी रिपोर्ट प्राप्त होगी ।

Shri Y. S. Chaudhary (Mahendragarh) : The department which we are discussing today is a new department. As has been stated by the previous Speaker that the report of the department is very brief one. The report ought to have been more comprehensive. In this connection we have placed before us certain objectives and targets. House would like to know how those targets are proposed to be achieved by the Government.

I would also like to submit that the distribution system of fuel, iron etc. to the various Industrial establishments appeared to be dominated by the quota and permit procedures. Many of the establishments were supplying as a result of that system. A very unfortunate situation has been created in this country due to that for the last 15 or 16 years. People are openly Styling it as Quota and Permit Raj.

The major complaint in connection with the implementation of our Five years plans' programme has been the lack of coordination. Redtapism and lack of coordination between the various departments and establishments were the main cause for the non fulfilment of our production targets. I would like to urge the Government that these drawbacks should be removed forth with. The Government should have a broad outline of the requirements of the various Industrial establishments, and they should be given quotas according to their requirements.

The most important thing that we should always keep in view is that the goods produced in the various establishments should confirm to the standards specifications. This is the only way by which they could be in a position to compete with the imported foreign goods and stand in the foreign markets. There should be a body of the experts to test the quality of our goods meant for export their quality should be ensured so that we did not lose our trade reputation.

I would also like to state that it should be our endeavour to achieve self-sufficiency in all essential goods so that we might not have to depend upon other countries in future. We should try that our national resources should be fully harnessed with that end in view.

श्री लीलाधर बटकी (नवगांव) : यह यद्यपि नया विभाग है, तथापि इसका महत्व बहुत अधिक है। मेरी इसमें काफी अधिक रुचि है अतः मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, यहां कि आज प्रतिरक्षा सम्बन्धी सम्भरण की सब से अधिक आवश्यकता है। इस क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखना होगा, परिवहन सुविधाओं के लिए व्यवस्था करनी होगी। प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता राज्य के अन्दर निर्माण करनी होगी। वहां विनिय उद्योगों का विकास करना होगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

इस सन्दर्भ में मेरा यह निवेदन है कि सम्भरण के विभिन्न साधनों का वितरण किया जाना चाहिए। पूर्वोत्तर प्रदेश में विशेष रूप से आसाम में औद्योगिक उपक्रमों को विकसित करने के लिए सभी सम्भव सहायता दी जानी चाहिए। गौहाटी औद्योगिक बस्ती का विस्तार किया जाना चाहिए। यह प्रयत्न भी किये जाने चाहिएं कि इस क्षेत्र में और अधिक औद्योगिक बस्तियां कायम की जायें। मेरे विचार में यदि इस तरह किया जायेगा तो प्रतिरक्षा आवश्यकतायें बड़ी आसानी से पूरी की जा सकेंगी। अभी तक इस दिशा में जो कुछ किया गया है वह काफ़ी नहीं है। आसाम और इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास की राह में जो कठिनाइयां आ रही हैं उन्हें दूर करने का भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिए और इसके लिए संभव प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

प्रतिवेदन से यह पता चलता है कि सम्भरण के कुछ क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो कि बम्बई, कलकत्ता, कानपुर और मद्रास जैसे नगरों में हैं। मेरा सुझाव है कि एक ऐसा कार्यालय गोहाटी में भी होना चाहिए यह बड़ी आवश्यक बात है। इस विभाग को सम्भरण करने वाले ठेकेदारों की शिकायत है कि उन्हें समय पर पैसे की अदायगी नहीं होती। इन शिकायतों की छानबीन की जानी चाहिए और जो देरी हो जाती है उसे दूर करने का कोई उपाय ढूंढ निकालना चाहिए। तकनीकी विभाग तथा संभरण विभागों में परस्पर समन्वय होना चाहिए। मेरा विचार तो यह है कि इन दोनों विभागों को मंत्रालय के स्तर पर ले आना चाहिए।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : चीन के आक्रमण के कारण जो चुनौती भारत को मिली थी उसके लिए साधनों को संगठित करने में इस मंत्रालय ने बहुत काम किया है और इसके लिए मैं मंत्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं। इन दोनों विभागों ने हमारे जवानों की आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी अच्छा कार्य किया है। आपात में इस विभाग का काम काफ़ी शानदार रहा है और मेरा अनुरोध है कि इसका कार्य-क्षेत्र बढ़ा देना चाहिए। आशा रखनी चाहिए कि विभाग उत्पादन सम्बन्धी इस जोश को बनाये रखेगा। क्योंकि अनुमान यह है कि चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ हो जाने से आपात के अभी काफी देर तक चलने की सम्भावना है।

इस सन्दर्भ में 'तकनीकी विकास विभाग' को अपनी बुद्धिमत्ता, वैज्ञानिक निपुणता तथा आविष्कारिक योग्यता द्वारा ऐसी कुछ वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएं निकाले जो देश में उपलब्ध नहीं हैं। और ऐसी वस्तुएं जिनके लिए हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। हमें यह भी बताया जाना चाहिए कि यह विभाग किस प्रकार की स्थानापन्न वस्तुओं को उपलब्ध करेगा जो इस देश में बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं मिल रही हैं। जैसे कि प्रतिवेदन से पता चलता है कि जिंक और तांबे का कुछ स्थानापन्न बनाया गया है।

कहा गया है कि यह विभाग औद्योगिक आंकड़ों का संग्रह तथा विश्लेषण करेगा। सभा यह जानना चाहती है कि उनके संग्रह तथा विश्लेषण का काम करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। क्या उस कार्य को विभाग के प्राविधिक सलाहकारों को नवीनतम प्राविधिक तथा वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त है ? उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए। उन्हें इस योग्य होना चाहिए कि ऐसी सलाह दे सकें जिससे देश भर में तकनीकी दृष्टि से एक नया वातावरण निर्माण किया जा सके।

सम्भरण के मामले में गड़बड़ हो जाना स्वाभाविक ही है। दूसरे महायुद्ध के बाद से इस दिशा में स्थिति काफी सुधरी है और लोगों में सम्भरण विभाग के विरुद्ध जो भावनायें होती थीं, वे अब नहीं हैं। इसके बारे में यह राय तो होनी ही चाहिए कि विभाग ईमानदारी से काम करता है। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि अब जब कि केन्द्रीय यूरोप के देशों से हमारे सम्बन्ध चल रहे हैं तो हमें इन देशों में भी एक क्रय मिशन रखना चाहिए जैसा कि अमरीका तथा इंगलैंड में रखा हुआ है। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग को कुटीर और लघु उद्योगों से अधिक वस्तुएं खरीद करनी चाहिए। खरीद का कार्य सन्तोषजनक तथा प्रोत्साहित करने वाला नहीं है। मुझे इस बात का हर्ष है कि मंत्रालय सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में समन्वय स्थापित करने का यत्न कर रहा है। वैसे भी यह हमारी औद्योगिक नीति है। परन्तु मेरा निवेदन है, कि विकास परिषदों के काम के बारे में स्थिति तनिक स्पष्ट की जानी चाहिए। क्या इनकी हैसियत केवल सलाहकार की ही होगी अथवा उन्हें कुछ करना भी होगा।

अन्त में मेरा निवेदन है कि समस्त कठिनाइयों के बावजूद उत्पादन बढ़ा है। परन्तु एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि यह आये दिन अधिकारियों का प्राविधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए विदेशों में जाने का सिलसिला रोका जाना चाहिए। केवल उन लोगों को ही विदेशों में भेजा जाय, जिनका वहां जाना अनिवार्य हो तथा उससे सेवाओं को कुछ लाभ पहुंचता हो।

Shri Mohan Swarup (Pilibhit): Demand of the supply department is 41,569 thousand Rs. and that of the technical department is 4,765 thousand rupees. There has been changes in the supply department, it was under the Housing Ministry. Now it has been again reorganized. Today we are passing through an emergency. We should try to partronize the goods manufactured within our own country. We should also do away with things of pomp and show, we should try to save as much foreign exchange as it is possible to save. There should be committees to screen and decide which of the items were essential and which were not, so as to check avoidable waste and unnecessary expenditure. Supply of goods should also be done in parts so that nothing should be wasted.

We purchase various goods of necessity from London, Washington and Tokyo through our Missions there. I propose that we should also send our representatives to study the market conditions of the other industrialised and progressive countries of the world to enable us to purchase goods of better quality at comparatively cheaper rates.

More attention should be given to saving foerign exchange.

To increase and encourage indigenous production of the defence materials, the cooperation of the private sector should be sought. In the matter of technical know-how and other related matters, we should encourage our own people in order to reduce dependence on foreigners. We should, as far as possible, try

[Shri Mohan Swarup]

to be self-sufficient in the matter of arms and ammunition. Like England and some other countries articles of necessity like shoes, socks, uniforms, etc., should be allowed to be produced by private companies.

It is really heartening to know that small scale and cottage industries have also been allowed to supply articles of necessity. Besides encouraging indigenous production, it will reduce unemployment in the country.

Director-Generals for other areas should also be appointed like the appointed for Northern area at Kanpur.

In respect of small scale and cottage industries I have to propose that exhibitions should be organised in different areas. The officers of the Department should visit these exhibitions and suggest suitable modifications and changes whichever may be desirable.

Test Houses should be set up in Delhi and Madras also. Inspection shells should be made to operate more efficiently. There is a need of more efficiency in the Technical Development Department also.

Proper advice should be made available and also the required materials should be supplied for the new industries. A Research Department should be set up which may see that what kinds of industries will prove useful. It may also point out the shortcomings and suggest remedies. Even the experts should be given suitable training in the matter. Expert advice should be made available feasibly and at less cost. The Officers of the Ministry should be sent to other countries to study the methods of working of the industries there.

संभरण विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथराव) : संभरण तथा प्रविधिक विभागों का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि उद्योगों का संतुलित विकास हो और प्रतिरक्षा सम्बन्धी अन्य सरकारी विभागों की महत्वपूर्ण आवश्यकतायें सरलतापूर्वक पूरी हो सकें। देश में उद्योगों का विकास करने, योजना बनाने और अत्यावश्यक सामान मंगाने तथा संभरण करने के मामलों में इन दोनों विभागों का आरम्भ से ही आपस में बहुत घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। ज्योंही इन विभागों के पास कोई वस्तु-आदेश (इन्डैण्ट) आता है, उस पर देश के अन्दर किये जाने वाले उत्पादन की दृष्टि से विचार किया जाता है। यदि देश के उत्पादन की क्षमता उसे पूरा करने में असमर्थ रहती है तो क्षमता पैदा करने के प्रयत्न किये जाते हैं। इन दोनों विभागों के फलस्वरूप देश के अन्दर उत्पादन में वृद्धि हुई है। सामान विदेशों से मंगाने के बजाय देश में बने सामान का संभरण करके देश की आवश्यकता को पूरा करने पर जोर दिया गया है। वस्तुओं का नये सिरे से स्तरीकरण, नमूनों में कुछ रूप भेद तथा अन्य प्रयत्नों के परिणामस्वरूप देश के उद्योग का विकास हुआ है और संभरण की जाने वाली २० इंजीनियरी तथा १८ गैर इंजीनियरी वस्तुएं देश में ही बनने लगी हैं। ये विभाग यथासंभव देश में बने सामान के संभरण पर जोर देते हैं देश में बने सामान के संभरण में लगातार वृद्धि हो रही है जिससे २.६ करोड़ रुपये की देशीय मुद्रा का तथा २.३५ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है जो एक सराहनीय बात है।

प्रतिरक्षा सम्बन्धी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम गैर-सरकारी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने इंजीनियरी, रासायनिक और सूती कपड़ा उद्योगों के लिए एक सलाहकार तालिका बनाई है जिसमें संभरण तथा निपटान महा-

निदेशालय, डी० डी० महानिदेशालय, प्रतिरक्षा विभाग तथा विभिन्न वाणिज्यिक संघों के प्रतिनिधि लिए गए हैं। हम उद्योगों के पूर्ण सहयोग से उन विभिन्न वस्तुओं के निर्माण करने में सफल हुए हैं जो पहले कभी देश में नहीं बनाई जाती थीं। हमने कागज के लिए एक सलाहकार तालिका बनाई है जिसने सराहनीय कार्य किया है।

देश में संकटकालीन स्थिति के परिणामस्वरूप प्रतिरक्षा सम्बन्धी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करना आयुध कारखानों (आर्डनेन्स फैक्टरीज़) के लिए कठिन हो गया था। इसलिए हमने हथियार सम्बन्धी सामान प्राप्त करने के लिए असैनिक क्षेत्र की सेवाओं का उपयोग करने की व्यवस्था की थी। इससे आयुध कारखानों को आसानी से न बनने वाले और प्रतिरक्षा सम्बन्धी अधिक महत्वपूर्ण सामान के बनाने में आसानी हो गई। इसके साथ साथ असैनिक क्षेत्र में भी हथियारों सम्बन्धी सामान बनने लगा और इसके परिणामस्वरूप दिसम्बर १९६३ तक असैनिक क्षेत्र को ४२ वस्तुओं के निर्माण के लिए ६ करोड़ रुपये के ६६ ठेके दिए गए। इन ठेकों को देते समय विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा गया कि हम एक सामान को कई संभरण के साधनों से प्राप्त कर सकें और इसी के अनुसार एक वस्तु के संभरण के लिए ठेका एक से अधिक फर्मों को दिया गया।

प्रतिरक्षा की आवश्यकता को पूरी करने के लिए ऊनी कपड़े, बर्फ में पहने जाने वाले कपड़े, जूते, मोजे आदि फर्मों से एक साल के लिए निर्धारित मूल्य पर बड़े पैमाने पर खरीदे गये। सामान पुराने संभरण के साधनों से खरीदा गया और अल्पकालीन संभरण के लिए नये साधनों से भी सामान खरीदा गया।

यद्यपि लघु उद्योगों का विकास सम्बन्धी कार्य उद्योग मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में है, फिर भी संभरण विभाग इन उद्योगों को काफी प्रोत्साहन देता है। संभरण विभाग द्वारा इन उद्योगों के उत्पादों की खरीद में तेजी से वृद्धि हो रही है। संभरण की जाने वाली ७० वस्तुएं केवल लघु उद्योगों से ही खरीदी जाती हैं। यदि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम इन उद्योगों की उत्पादन क्षमता प्रमाणित कर देता है तो विभाग द्वारा इन से सिक्योरिटी जमा करने की मांग नहीं की जाती है। लघु उद्योगों से अधिक से अधिक मात्रा में सामान खरीदने का प्रयत्न किया जाता है। यदि लघु उद्योग कीमत अधिक होने के कारण बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं तो भी लघु उद्योगों को प्राथमिकता देने के लिए लागत कीमत को महत्व दिया जाता है और इनके मामले में कीमतों में १५ प्रतिशत तक की छूट दी जाती है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का सम्पर्क अधिकारी संभरण तथा निबटान महानिदेशालय में सरकार के क्रय सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार करने के बारे में समन्वय अभिकरण का कार्य करता है।

सरकार की नीति खादी को भी प्रोत्साहन देने की है। वर्ष १९६३–६४ में, नवम्बर के महीने तक ८२ लाख रुपये की खादी तथा ९७ लाख रुपये की ऊनी खादी, जिसमें कम्बल भी शामिल हैं, सरकार द्वारा खरीदे गए।

आयात को यथा संभव कम किया जा रहा है। केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात किया जाता है जो देश में नहीं बन सकती हैं और जिनका मंगाना अत्यन्त आवश्यक होता है।

सरकार की वर्तमान क्रय नीति के अनुसार सामान खरीदते समय सकरारी क्षेत्र तथा गैर सरकारी क्षेत्र दोनों का ही ध्यान रखा जाता है। यदि सरकारी क्षेत्र आवश्यकता पूरा करने की क्षमता रखता

[श्री जगन्नाथराव]

है तो सामान खरीदने के मामले में गैर-सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा सरकारी क्षेत्र को ही प्राथमिकता दी जाती है। इस संम्बध में सम्भरण तथा निबटान महानिदेशालय को निदेश दिये गये हैं कि जहां तक संभव हो सामान सरकारी उपक्रमों से ही खरीदा जाये।

कुछ माननीय सदस्यों का यह आरोप गलत है कि सरकार कभी कभी कुछ सामान के लिए गैर-सरकारी फर्मों को अधिक मूल्य देती है। इसमें किसी के साथ पक्षपात करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। हम कभी भी गैर-सरकारी फर्मों को अधिक मुल्य नहीं देते हैं।

विदेशों में भारतीय सम्भरण मिशनों के बारे में शिवशंकर समिति की सिफारिशों को, जहां तक हो सका है, क्रियान्वित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप इंडिया स्टोर्स डिपार्टमेंट लंदन के सदस्यों की सख्या घटाकर ३४५ और इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन के कर्मचारियों की संख्या घटाकर १४० कर दी गई है। लंदन स्थित स्टोर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की संख्या घटाने के फलस्वरूप ५०,००० पोंड की बचत हुई है। गत वर्ष श्री हाथी ने विदेशों में हमारे मिशनों का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की हैं और उन सिफारिशों को क्रियान्वित किया जायेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि संभरण तथा निपटान निदेशालय द्वारा भुगतान में बहुत समय लगाया जाता है। इस संबन्ध में कुछ ठोस कदम उठायें गये हैं जिससे भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब न हो। अब संभरणकर्त्ता को माल के निरीक्षण तथा भेजने के समय ९८ प्रतिशत मूल्य का भुंगतान किया जाता है और २ प्रतिशत भुगतान बाद में किया जाता है, जबकि पहले निरीक्षण के समय केवल ९५ प्रतिशत भुगतान किया जाता था।

अब तक लोहे और इस्पात जैसे कच्चे माल के मूल्यों की ५० प्रतिशत राशि प्रारम्भिक भुगतान (प्रोग्रेसिव पेमेंट्स) के रूप में दी जाती थी। यह सुविधा अब अन्य उन वस्तुओं के संभरण में भी दी गई है जिनमें यह संभरणकर्त्ता तथा माल मंगाने वाले दोनों के हित में हो। हम कच्चे माल की कीमत का ७५ प्रतिशत देने के लिए भी तैयार हैं। "फाइनलाइजेशन" विभाग में होने वाले विलम्ब को दूर किया जायेगा।

हमने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। अब यह निर्णय किया गया है कि किसी फर्म का केवल विभाग द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि ही टैंडर खोलते समय उपस्थित रह सकता है। ये टैंडर विभाग के एक सहायक निदेशक की उपस्थिति में खोले जायेंगे। वह सहायक निदेशक टैंडर विभाग से संबन्धित नहीं होगा। टैंडर खोलते समय सहायक निदेशक टैंडरों के बारे में एक विवरण तैयार करेगा।

संभरण तथा निबटान निदेशालय के भवन में सुरक्षा व्यवस्था सबंधी मामले पर विचार किया जा रहा है ताकि कार्यालय में सर्वसाधारण के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा सके। फर्मों के प्रतिनिधियों द्वारा पूछताछ का उत्तर देने के लिए एक स्वागत कार्यालय खोलने का भी निर्णय किया गया है। निदेशक से निम्न स्तर के अधिकारी से फर्मों के प्रतिनिधियों को मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

अनियमितताओं को दूर करने के लिए क्रय संबंधी मामलों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जायेगा इस कार्य के लिए एक उपनिदेशक शीघ्र नियुक्त किये जाने की आशा है। प्रविधिक विभाग में भी कुछ इसी प्रकार के कदम उठाये गये हैं ताकि इस विभाग द्वारा की गई सिफारिशें संबंधित मंत्रालय को निर्धारित समय के अन्दर भेजी जा सकें। मामलों का शीघ्र निबटारा करने के लिए उन मामलों को,

जिनकी एक महीने से अधिक समय से जांच की जारही हो, विकास अधिकारियों की मासिक बैठक में विचार के लिए रखा जायेगा। उद्योग अथवा आयात लाइसेंसों के बारे में दिये गये प्रार्थनापत्रों के संबन्ध में अतिरिक्त जानकारी तब तक नहीं मांगी जा सकती जब तक कि जानकारी मांगने वाले अधिकारी से बड़ा अधिकारी मामले को अच्छी प्रकार न देख ले तथा उसकी अनुमति न दे दे।

अब तक उठाये गये कदमों से विभाग के कार्यों में काफी सुधार हुआ है और आशा है कि भविष्य में इनमें और अधिक सुधार होगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रसन्नता की बात है कि संभरण विभाग का भार एक योग्य तथा अनुभवी व्यक्ति संभाले हुए हैं। विभाग का कार्य सदैव सराहनीय रहा है।

यह सर्वथा अनुचित बात है कि कुछ हथियारों संबन्धी सामान बनाने का कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपा गया है, जब कि चीन के आक्रमण के बाद देश में आयुध कारखानों (आर्डनेन्स फैक्टरीज) के उत्पादन में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है। इस समय नये कारखानों को मिलाकर कुल २१ आयुध कारखाने रक्षा सम्बन्धी उत्पादन में लगे हैं। यदि गैर सरकारी क्षेत्र एक बार हथियार बनाना आरम्भ कर देंगे तो, देश में सदा ही एक युद्ध का वातावरण सा बना रहेगा क्योंकि गैर सरकारी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है और वे इसके लिये उचित और अनुचित सभी प्रकार के साधन अपनायेंगे।

चीन तथा पाकिस्तान में हुए गठजोड़ के कारण हमारे सामने समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि गोला बारूद तथा हथियारों का उत्पादन कार्य गैर-सरकारी उद्योग को सौंप दिया जाये। एक तो इससे देश में युद्ध उन्माद को बढ़ावा मिलेगा और दूसरे हमारा यह अनुभव है कि गैर-सरकारी उद्योग नमूने के अनुसार सामान का संभरण करने में असफल रहे हैं। युद्ध सामग्री का उत्पादन कार्य विश्वसनीय सार्थों को सौंपा जाना चाहिये ताकि वे आवश्यकता के समय हमें युद्ध सामग्री दे सकें।

आपातकाल में औद्योगिक एककों की संख्या में आकस्मिक वृद्धि हुई है। सरकार को यह ध्यान रखना चाहिये कि ठेके विश्वसनीय तथा योग्य व्यक्तियों को दिये जायें। अलीगढ़ में एक सार्थ को गोला-बारूद के बक्सों के निर्माण का ठेका दिया गया है परन्तु उसके पास लकड़ी को पकाने (सीजनिंग) का यंत्र शायद ही हो। पिछली बार भी मैंने कहा था कि कुछ ठेकेदारों को जवानों के लिये रजाइयां बनाने का ठेका दिया गया था परन्तु उन रजाइयों में ८० प्रतिशत रद्दी रूई तथा केवल २० प्रतिशत अच्छी रुई थी। ऐसे मामलों की जांच की जानी चाहिये। मंत्री महोदय को यह भी बताना चाहिये कि सुन्द्रम एण्ड कम्पनी को सिंगर सिलाई मशीनों के पुर्जे बनाने का लाइसेंस क्यों दिया गया जबकि भूतपूर्व वित्त मंत्री ने इस कम्पनी का लाइसेंस रद्द कर दिया था। इस मामले की जांच की जानी चाहिये। मुझे सन्देह है कि वित्त मंत्री का इस मामले में हाथ है, क्योंकि इस लाइसेंस का प्रश्न आर्थिक तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय द्वारा उठाया गया था और श्री बूथलिंगम् उस समय उस मंत्रालय के सचिव थे।

इस विभाग तथा प्रतिरक्षा सम्पर्क यूनिट (डिफेंस लायज़न यूनिट) के बीच अधिक समन्वय होना चाहिये। निरीक्षण कार्य और अधिक कड़ा किया जाना चाहिये।

कानपुर में एक फर्म को डायमंड ग्लास कटर्स का निर्माण करने का लाइसेंस दिया गया है। यह फर्म इंडस्ट्रियल डायमण्ड तथा हीरे का चूरा (डायमण्ड डस्ट) बाहर से मंगाना चाहती थी। इसके लिये उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से आवश्यकता-पत्र (इशेंशियलिटी सर्टीफिकेट) भी प्राप्त

[श्री स० मो० बनर्जी]

कर लिया था परन्तु यहां के सम्बंधित विभाग द्वारा इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया । ये चीजें यहां उपलब्ध नहीं हैं जबकि शीशा काटने के औजार उद्योगों के विस्तार के लिये बहुत जरूरी हैं । मंत्री महोदय को इस मामले में कोई कार्यवाही करनी चाहिये ।

श्री श्याम लाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : एक या दो वर्ष पहले अनेक माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया था कि संभरण व्यवस्था का क्षेत्र-वार तथा उद्योग-वार विकेन्द्रीकरण किया जाये। मुझे प्रसन्नता है कि इस बारे में कुछ कार्यवाही की गई है । मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री अपने उत्तर में यह बतायें कि देश के विभिन्न क्षेत्रों तथा विभिन्न उद्योगों से सामान खरीदने और माल प्राप्त करने सम्बन्धी व्यवस्था में क्या सुधार किये गये हैं ।

जहां तक कपड़े का सम्बन्ध है, पिछले शीतकाल में ऊनी कपड़े की बहुत अधिक कमी अनुभव की गई और यह बहुत अधिक मूल्यों पर बेचा गया । जब भी इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया तो यह उत्तर मिला कि प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के कारण ये कीमतें बढ़ी हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि नवम्बर, १९६२ से फरवरी, १९६४ के अन्त तक किस किस किस्म का कितना कपड़ा खरीदा गया और वह किन इलाकों से खरीदा गया । मेरा विचार है कि यह कमी जानबूझ कर उत्पन्न की गई अतः माननीय मंत्री को इस पर प्रकाश डालना चाहिए ।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य में सब से बढ़िया किस्म की रेशम पैदा की जाती है । अतः मैं जानना चाहूंगा कि पैराशूटों के लिये उस राज्य से कपड़ा क्यों नहीं खरीदा गया । प्रतिरक्षा सेनाओं के लिये आवश्यक रेशमी कपड़ों के निर्माण में जम्मू तथा काश्मीर राज्य का भी हिस्सा होना चाहिये था ।

जहां तक इंजीनियरी तथा रासायनिक वस्तुओं का प्रश्न है मुझे प्रसन्नता है कि इस उद्योग की पूरी क्षमता का उपयोग किया गया है । रेलों के लिये स्लीपर जम्मू तथा काश्मीर और हिमाचल प्रदेश से खरीदे जाते हैं । ये पठानकोट में इकट्ठे किये जाते हैं और वहां से अन्य स्थानों को भेजे जाते हैं । मेरी जानकारी है कि कुछ घटिया लकड़ी के स्लीपर देवदार की लकड़ी के स्लीपरों के रूप में भेज दिये गये और यह भी कि हिमाचल प्रदेश से स्लीपर काश्मीर के नाम पर भेज दिये गये । इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए । यह भी सुना गया है कि स्लीपर जालंधर के निकट डलवान में इकट्ठे किये गये थे और किसी प्रकार यह रहस्य खुल गया था । अतः सारे ढेर में आग लगा दी गई और यह कह दिया गया कि आग अचानक लग गई थी । माननीय मंत्री को बताना चाहिये कि इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

निरीक्षण तथा क्रय व्यवस्था को दोष-रहित बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और सरकारी सामान के निर्माताओं से उनके द्वारा निर्मित वस्तुएं प्रदर्शित कराने के लिये क्या उपाय किये गये हैं । मंत्री महोदय को यह भी बताना चाहिये कि भाई भतीजावाद पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है अथवा नहीं ।

परीक्षण-गृह सम्भरण केन्द्रों के निकट खोले जाने चाहिये ताकि परीक्षण अविलम्ब किया जा सके और सम्भरणकर्ताओं को भी कोई परेशानी न उठानी पड़े । सम्भरण कर्ताओं को उनके माल का भुगतान तुरन्त कर दिया जाना चाहिये ।

जहां तक खरीद का सम्बन्ध है जम्मू तथा काश्मीर राज्य को भी इस संगठन के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये । अन्य राज्यों के बारे में अपनाई गई प्रणाली जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर भी लागू होनी चाहिये । यदि इस बारे में कुछ रुकावटें हों तो उन्हें दूर किया जा सकता है ।

सम्भरण विभाग अपनी खरीद द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा मूल्यों को स्थिर करने में काफी हद तक सफल हुआ है । यह सुनिश्चित करने के लिये कि मुद्रा-स्फीति को प्रोत्साहन न मिले, इस विभाग को छोटे छोटे क्रयादेश देने चाहियें तथा बड़े पैमाने पर नहीं ।

विदेशों से माल खरीदने के लिये लन्दन तथा अमरीका में एक एक कार्यालय है । भूतपूर्व सम्भरण मंत्री श्री हाथी ने गत वर्ष उनका निरीक्षण किया था । अतः मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि उनकी सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए क्रय प्रणाली में क्या सुधार किये गये हैं और क्या मितव्ययितायें की गई हैं ।

जहां तक सामान के निपटान का सम्बन्ध है मैं इसके केन्द्रीकरण के पक्ष में हूं । मंत्रालय को इस बारे में दोषरहित प्रणाली अपनानी चाहिये । जो वस्तुएं बेची जानी हों उनका खूब प्रचार किया जाना चाहिये और उन्हें खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों को वे वस्तुयें देखने का अवसर दिया जाना चाहिये ताकि विभाग को अधिक मूल्य प्राप्त हो सके और खरीदारों को भी अधिक संतोष हो सके ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं और इस मंत्रालय की जो सराहना की है उसके लिये मैं उनका आभारी हूं । अक्तूबर-नवम्बर, १९६२ के दिनों में हमें यह चिन्ता थी कि हमारी प्रतिरक्षा आवश्यकतायें पूरी होनी चाहियें। सम्भरण तथा प्रविधिक विकास विभाग ने इसमें पूरा सहयोग दिया और प्रतिरक्षा आवश्यकतायें पूरी की जा सकीं । हम प्रतिरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हैं चाहे हमें दुगुने या तिगुने सम्भरण की व्यवस्था करनी पड़े। संकटकाल का सामना करने के लिये उत्पादन क्षमता १० गुना से भी अधिक बढ़ा दी गई थी ।

यह कहना ठीक नहीं है कि प्रविधिक विकास विभाग कुछ टिन प्लेटों के उत्पादन के अतिरिक्त कुछ नहीं कर रहा है । जैसे ही क्रयादेश (इंडेंट) प्राप्त होता है, यदि उस वस्तु को देश में पैदा किया जा सकता है तो उसका देश में उत्पादन किया जाता है । यदि इसे देश में पैदा नहीं किया जा सकता है तो यह विभाग इस विषय को अपने हाथ में लेता है और नई उत्पादन क्षमता उत्पन्न करने के लिये कोशिश करता है ताकि इसका देश में निर्माण किया जा सके । इस प्रकार उद्योगों का विकास करके हम देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना सकते हैं । यह विभाग तकनीकी विषयों के बारे में अनेक मंत्रालयों की सहायता करता है । यह योजना आयोग तथा विकास परिषदों को भी परामर्श देता है । विदेशी मुद्रा की कमी के बावजूद भी औद्योगिक प्रगति १९६३ में २१५ के आंकड़े पर पहुंच गई है जबकि १९५६ में यह १०० और १९६० में १५९ थी । प्रविधिक विकास विभाग उद्योगों को देश में ही सामान का निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है ।

हम ने चीनी, सीमेंट तथा वस्त्रों का निर्माण करने के लिये मशीनें बनाने का कार्य शुरू कर दिया है । १९६५-६६ तक हम सीमेंट उत्पादन मशीनों की पूरी मांग को पूरा कर सकेंगे । चीनी मिलों के मामले में वर्तमान क्षमता कुछ समय के लिये पर्याप्त समझी जाती है जिससे १२ से १४ चीनी मिलें स्थापित की जा सकती हैं । देश में निर्मित १५ चीनी संयंत्रों में चीनी उत्पादन पहले

[श्री हाथी]

ही हो रहा है। १९६३ में १८ करोड़ रुपये की कपड़ा बनाने की मशीनें बनाई गई थीं। यह संख्या १९६५-६६ तक २६ करोड़ रुपये होने की आशा है। बाईसिकल उद्योग देशी पुर्जों का प्रयोग करता है और विदेशी पुर्जों के आयात की पूर्ण रूप से मनाही है। मोटरकार के मामले में इस वर्ष ९० प्रतिशत देशी पुर्जों का प्रयोग किये जाने की आशा है।

तकनीकी विकास विभाग का पुनर्गठन किया जा रहा है। श्री वारियर कहते हैं कि उसमें बहुत अधिक निदेशक हैं। उसमें ३२ निदेशक और विकास अधिकारियों के सलाहकार हैं।

हमारा विचार है कि एक निरीक्षण तथा प्रगति विभाग बनाया जाये जो देश में घूम कर प्रगति और उत्पादन की किस्म का इस दृष्टि से निरीक्षण करे कि वह वस्तु विदेशी वस्तुओं के मुकाबले में ठहर सकती है या नहीं।

चीनी, सीमेंट और कुछ हद तक कपास के उद्योगों से सम्बन्धित मशीनों के सम्बन्ध में हम आत्म-निर्भर हो गये हैं और चाय तैयार करने के कारखानों, गंधक के तेज़ाब, और छोटे पैमाने के कागज के कारखानों, तथा साधारण मशीनी पुर्जों की मशीनें तैयार करने लगे हैं। इस प्रकार इस विभाग का बहुत महत्व है।

{ **अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair* }

संभरण निदेशालय में कर्मचारी प्रबंध तो है, सामान सम्बन्धी प्रबंध की व्यवस्था का विचार कर रहे हैं। इससे वस्तुओं का स्तर निर्माण करके, विदेशी वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं का इस्तेमाल करके या उनका आकार प्रकार बदल कर उन्हें अधिक सस्ता बनाया जाता है। इस तरह ५०० करोड़ रुपये की कुल खरीद में से हम ५ प्रतिशत बचत कर सकेंगे।

दूसरी बार उन्होंने विलम्ब और अन्य विभागों द्वारा सहयोग न देने की उठाई थी। हम ने यह तरीका निकाला है कि हर मास एक बैठक की जाती है जिस में मंत्रालय के प्रतिनिधि बताते हैं कि अमुक वस्तु की आवश्यकता क्यों है और वह वस्तु मंगा ली जाती है। इससे विलम्ब नहीं होता।

दूसरे सेक्शन अधिकारी और सहायक निदेशक में मामले बांट दिये हैं जिससे हर मामले को छः अधिकारियों के पास नहीं जाना पड़ता। यही कारण है कि इंडेंट बढ़ जाने पर भी काम अधिक कुशलता पर हो रहा है।

निदेशकों द्वारा दौरा आवश्यक है। मैं नहीं चाहता कि वे केवल क्लर्क बन जायें। उन्हें दौरा कर के त्रुटियों का पता लगाना चाहिये और परामर्श देना चाहिये।

इतना ही नहीं अभी हमें बहुत काम करना है जैसे औद्योगिक मशीनों, विशेष इस्पात, अलौह धातुओं, बिजली की इस्पात की चादरों कच्चे लोहे औजारों आदि का उत्पादन बढ़ाना है। इसलिए तकनीकी विकास निदेशालय में सुधार करना है ताकि वह योजना और प्रगति की देख-रेख कर सके। किन्तु इसका वह अभिप्राय नहीं कि हमने किया कुछ नहीं औज़ार उद्योग का उत्पादन कुछ लाख रुपये से २० करोड़ पर पहुंच गया है। टंगस्टन कारबाइड बनने लगा है। इस्पात के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है और भारी मशीन बनाने के कारखाने लगा रहे हैं। टीन की प्लेटें इस्तेमाल करने से हमें ३ करोड़ रुपये की बचत हुई है। इन सब बातों का ध्यान विकास विभाग को रखना होता है।

श्री बनर्जी ने कहा कि बिरला आदि को शस्त्रास्त्रों के कुछ पुर्जों का निर्माण सौंपा गया है और यदि वे कारखाना बंद कर दें तो क्या होगा ? वास्तव में उन्हें कोई नया लाइसेंस नहीं दिया गया उनके कारखानों में जो वस्तुएं बन सकती हैं उसमें वे योगदान दे रहे हैं ।

लाइसेंस देने में विलम्ब के सम्बन्ध में हमने तकनीकी विकास विभाग के सचिव के अधीन एक समिति नियुक्त की है और प्रार्थना पत्र मिलने के तीन मास के अंदर सिफारिश करने के लिए कह दिया है । अतः इस काम में देर नहीं हुआ करेगी ।

युद्ध सामग्री के डिब्बों के लिए ४० लाख रुपये का आदेश दिया गया था उसे अब रद्द कर दिया गया है ।

यह भी शिकायत की गई कि यहां ऊषा मशीन कम्पनी और अन्य कम्पनियों के होते हुए सिंगर मशीन के पुर्जे बनाने के लिए लाइसेंस क्यों दिये गये हैं । वास्तव में देश में जो सिंगर मशीन है उनके खराब होने पर पुर्जों की आवश्वकता होती है और देश की किसी कम्पनी को वह काम सौंपने से उनके हितों में प्रतियोगिता होगी । इसलिये पुर्जे बनाने का लाइसेंस दिया गया है ताकि सिंगर मशीनें बेकार न पड़ी रहें ।

हमने अनुसंधान प्रयोगशाला और तकनीकी विकास विभाग में बहुत अनुभवी लोगों को नियुक्त किया है और उनके अनुभव से लाभ प्राप्त करने के लिये गैर सरकारी क्षेत्र से भी लोग लिए हैं । अनुसंधानशालाओं में जो प्रयोग किये जाते हैं उनका वाणिज्यिक उपयोग भी किया जा रहा है । जैसे राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला ने अभ्रक संबंधी जो अनुसंधान किया था उसे दो फर्म बनाने लगी हैं । इस प्रकार के कई उदाहरण हैं ।

श्री सर्राफ ने पूछा था कि हम कहां से क्या खरीदते हैं । उन वस्तुओं की सूची लम्बी है । कश्मीर से हम ऊन और लकड़ी खरीदते हैं । शिव शंकर समिति की सिफारिशों को हमने लागू किया है और उससे लगभग १००,००० डालर की बात हुई है । हमने १५, ७५ या १०० डालर की वस्तुएं नकद खरीदने की अनुमति दे दी है । इन मूल बातों का खर्च पर अच्छा प्रभाव पड़ा है । हम लंदन और वाशिंगटन में कर्मचारियों की संख्या को कम करने की बात भी सोच रहे हैं । इंजीनियरिंग उद्योग और रसायन उद्योग में हमने काफी प्रगति की है

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस फर्म को भूतपूर्व वित्त मंत्री ने लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया था और वर्तमान वित्त मंत्री के कहने पर दे दिया गया ?

श्री हाथी : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं । आश्चर्य है कि उन्होंने इतने विलम्ब से यह प्रश्न पूछा है ।

संभरण मंत्री (श्री हजरनवीस) : श्री जगन्नाथ राव ने मंत्रालय के कार्य के बारे में बहुत विस्तारपूर्वक बताया है और उन्हें विभाग का बहुत अनुभव प्राप्त है ।

गत वर्ष खरीद ३८० रुपये से बढ़ कर ५८० करोड़ हो गई है । खरीद में तीन बातों का ध्यान रखना होता है एक तो यह कि पैसे का पूरा मूल्य मिले दूसरे विनिमय पूरा हो और तीसरे उसका देश की अर्थ-व्यवस्था पर ठीक प्रभाव पड़े । इसमें जो सफलता मिली है वह संगठन में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के निष्ठापूर्ण प्रयत्न से मिली है । भले ही खरीद दुगनी हो गई है किन्तु उसमें निहित अन्य बातों का भी महत्व है । भले ही हमारी नीति युद्ध के अनुकूल नहीं बल्कि शक्ति पर आधारित है किन्तु हम जो कुछ भी करते हैं इस दृष्टि से करते हैं कि देश की एकता की रक्षा हो सके । जब अकस्मात देश को खतरे का सामना करना पड़ा तो भले ही कुछ वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में

[श्री हजरनवी]

निर्माण नहीं हो रहा था किन्तु श्री हाथी की संगठन क्षमता के कारण हम उस खतरे का मुकाबला कर सके । मैं प्रसन्न हूं कि सभा ने इस की प्रशंसा की है ।

तकनीकी विकास विभाग मंत्रालयों, योजना आयोग और उद्योगों को परामर्श देता है । प्रधान मंत्री ने ही देश में वैज्ञानिक चेतना को जन्म दिया है और उन्होंने इस विभाग में भी गहरी रुचि दिखाई है ।

यह विभाग इस प्रकार काम करता है कि जब लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र आता है तो हम देखते हैं कि योजना में उस उद्योग का क्या स्थान होगा और उसमें देशी वस्तुओं का अधिकतम उपयोग होगा या नहीं और फिर हम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अनुभव का भी लाभ उठाते हैं । इस प्रकार प्रयत्न यह होता है कि राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला और अन्य प्रकार से जो भी लाभ प्राप्त होता है उसे उद्योग की सेवा में लगा दिया जाय । प्रौद्योगिक क्षेत्र के अनुभवी लोग तकनीकी विकास विभाग में काम करते हुए लाइसेंस के आवेदन पत्र को दबा देने का प्रयत्न नहीं करते बल्कि अपने अनुभव का लाभ पहुंचाते हैं जो किसी गैर-सरकारी उपक्रमी को अन्यथा प्राप्त नहीं हो सकता ।

तकनीकी विकास विभाग दो प्रकार से उपक्रमी को लाभ पहुचाता है एक तो उसे यह जानकारी दे कर कि उस उद्योग का योजना में क्या स्थान है और कि उसे अपने माल की बिक्री में कहां तक सफलता मिल सकेगी ।

विलम्ब का मामला जैसा श्री हाथी ने कहा एक समिति को सौंप दिया गया है । अतः मैं चाहता हूं कि लोग आवेदन पत्र देने से भी पहले विकास विभाग से परामर्श ले और उन्हें जानकारी दी जायगी क्योंकि देश औद्योगीकरण के लिये वचनबद्ध है ।

सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उन पर मैं विचार करूंगा और यदि धन उपलब्ध हुआ तो उन्हें लागू भी करूंगा । श्री मोहन स्वरूप का सुझाव कि कई स्थानों पर निदेशक रखने चाहियें और श्री सर्राफ का सुझाव कि बम्बई कलकत्ता और कानपुर की तरह और जांच केन्द्र स्थापित करने चाहियें, अच्छे सुझाव हैं ।

मंत्रालय की प्रशंसा के लिये मैं आभारी हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संभरण तथा प्रविधिक विकास विभाग की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :

The following Demands in respect of Department of Supply nnd Department of Technical Development were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१०३	संभरण विभाग	४७,२३,०००
१०४	संभरण तथा निपटान	३,२४,२८,०००
१०५	संभरण विभाग का अन्य राजस्व व्यय	६,५४,०००
१०६	प्रविधिक विकास विभाग	२,८२,०००
१०७	प्रविधिक विकास विभाग का अन्य राजस्व व्यय	४०,८६,०००

स्वास्थ्य मंत्रालय

वर्ष १९६४–६५ के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की अनूदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
४२	स्वास्थ्य मंत्रालय .	२०,९१,०००
४३	चिकित्सा और लोक-स्वास्थ्य .	११,४३,२४,०००
४४	स्वास्थ्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	८७,२८,०००
१२७	स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यव . . .	९,९३,३५,०००

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्ण पटनायक, श्री राम सेवक यादव, श्री कर्णी सिंहजी और यशपाल अनुपस्थित हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : संभवतः उन्हें पता नहीं पहले मंत्रालय की चर्चा नियत समय से पहले समाप्त हो जायेगी । इसलिए उनके उपस्थित होने पर उन्हें अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं वचन नहीं दे सकता ।

स्वास्थ्य मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
४२	११	श्री दीनेन भट्टाचार्य	खाद्य अपमिश्रण रोकने में असफलता	राशि घटाकर १ रु० कर दी जाय
४२	१२	श्री दीनेन भट्टाचार्य	जाली दवाइयों की बिक्री रोकने में विफलता	तदेव
४२	१३	श्री दीनेन भट्टाचार्य	देहात के लिए व्यापक स्वास्थ्य योजना बनाने में असफलता	तदेव
४२	१४	श्री दीनेन भट्टाचार्य	देहाती जल संभरण योजना में विफलता	तदेव
४२	१५	श्री दीनेन भट्टाचार्य	कलकत्ता और आस पास हैजा फूटने को रोकने में असफलता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
४२	१६	श्री दीनेन भट्टाचार्य	सीसमपुर अस्पताल का दर्जा ऊंचा करने में असफलता	१०० रुपये
४२	१७	श्री दीनेन भट्टाचार्य	औद्योगिक क्षेत्रों में रति रोग रोकने की व्यवस्था की आवश्वकता	१०० रुपये
४२	१८	श्री दीनेन भट्टाचार्य	बरदवान में चिकित्सा कालेज खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये
४२	१९	श्री दीनेन भट्टाचार्य	चिकित्सा कालेजों में छात्र संख्या बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४२	२०	श्री दीनेन भट्टाचार्य	कम आय वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें देना	१०० रुपये
४२	२१	श्री दीनेन भट्टाचार्य	देहात में अधिक अस्पतालों की आवश्यकता	१०० रुपये
४२	२२	श्री दीनेन भट्टाचार्य	प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को निःशुल्क भोजन देने की आवश्यकता	१०० रुपये
४२	२३	श्री दीनेन भट्टाचार्य	क्षय रोगियों की बाद की देखभाल की आवश्यकता	१०० रुपये
४२	२४	श्री दीनेन भट्टाचार्य	क्षय रोग के अस्पतालों में और बिस्तरों की आवश्यकता	१०० रुपये
४२	२५	श्री दीनेन भट्टाचार्य	देहात में और प्रसूति गृह खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये

अध्यक्ष महोदय : ये कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

डा० सारादीश राय (करवा) : इस मंत्रालय का लोगों के कल्याण से सम्बन्ध है अतः हमें देखना है कि हम किस प्रकार की परिस्थिति को इस की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं । स्थिति यह है कि देश में १५ लाख लोग क्षय रोग से ग्रस्त हैं, चेचक, रटाइफायड, पेचश, फील पांव आदि रोग खूब फैले हुए हैं ।

संकट काल के कारण इस मंत्रालय के बजट में २७ करोड़ की कमी की गई थी वह कमी अब भी है ।

देहात में जल संभरण पर योजना के लिये नियत राशि का केवल ३० प्रतिशत खर्च किया गया जबकि नगरों में इस पर ५० प्रतिशत खर्च किया जा चुका है ।

अन्य मंत्रालयों के सरकारी उपक्रम मंत्रालय के नियंत्रण में हैं जबकि हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स आदि कारखाने इस मंत्रालय के अधीन नहीं हैं ।

कुछ माह पूर्व कलकत्ता में एक सर्वेक्षण किया गया जिसके अनुसार स्कूल के ५,५७९ बच्चों में से २,५६३ किसी न किसी रोग से ग्रस्त थे। अपौष्टिक आहार इस का कारण है जो समस्या खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता मात्र से हल नहीं हो सकती बल्कि लोगों की खाने संबंधी आदतों को बदलने की आवश्यकता है। उसके लिए लोगों को शिक्षा देनी चाहिये।

गांवों के लोगों को पुस्तकों आदि के साधनों के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिये। दूसरी तथा तीसरी योजना में जो धन आवंटित किया गया था, वह खर्च नहीं किया गया। चार मंत्रालयों और योजना आयोग का सम्बन्ध ग्रामीण जल समस्या से है, परन्तु वे जिला स्तर पर समन्वित ढंग से काम नहीं करते। एक जिला विकास समिति में मैंने देखा कि इंजीनियर नहीं आता था और जिला दण्डाधिकारी विवश था। स्थानों का चुनाव भी जनता की आवश्यकता के आधार पर नहीं किया जाता। हमें ग्रामीण जल सम्भरण योजनाओं के लिये धन की व्यवस्था करनी चाहिये। राजस्थान में जल नहीं। जहां जल आसानी से मिल सकता है, वहां योजनाएं क्रियान्वित नहीं की जातीं। हमें इन योजनाओं को राजनीति के आधार पर नहीं, बल्कि गांवों की आवश्यकताओं के आधार पर क्रियान्वित करने का प्रयत्न करना चाहिये।

नगरों में भी जल सम्भरण की उचित व्यवस्था करनी चाहिये। कलकत्ता में पीने और नहाने के लिये जल नहीं मिलता। अतः केन्द्र को राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिये ताकि कलकत्ता और शान्ति निकेतन आदि नगरों में बड़े पैमाने पर पीने के जल की व्यवस्था समुचित ढंग से की जा सके। सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर जल संभरण की व्यवस्था करना सरकार का कर्तव्य है।

कम या घटिया किस्म के जल सम्भरण से आन्तों की बीमारियां होती हैं, अतः गांवों और नगरों दोनों जगह पीने के जल की व्यवस्था को अग्रता प्रदान की जाए।

कलकत्ता और दिल्ली आदि बड़े नगरों में गन्दी बस्तियों की समस्या भयानक है। गन्दी बस्तियों की सफाई योजनाओं को क्रियान्वित करते समय लोगों को उजाड़ा जाता है और उनको उसी क्षेत्र में स्थान नहीं दिया जाता। अतः इस कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर और शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित किया जाए।

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की सफलता प्रशंसा का विषय है। परन्तु पश्चिम बंगाल में मलेरिया, फिलेरिया और चेचक का प्रकोप बहुत है। अतः इन रोगों को पश्चिम बंगाल से समाप्त करना चाहिये। इन कार्यक्रमों को अधिक तेजी के साथ तथा प्रभावशाली ढंग से चलाना चाहिये।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)

यदि देश के लोगों में चेचक के टीके लगाये जायें, तो इस रोग से लोगों को मुक्ति मिल सकती है। इस समय देश में चेचक का प्रकोप प्रायः सभी राज्यों में है। अतः इस कार्यक्रम को गंभीरता पूर्वक तथा अच्छी तरह क्रियान्वित किया जाए। उचित समय पर उचित परिणाम मिलने चाहियें।

कोढ़ के रोग को दूर करने में काफी समय लगता है। परन्तु कोढ़ का प्रकोप भी राज्यों में काफी है। अतः सरकार को इस समस्या की जांच करके, इस विषय को समवर्ती बना कर शीघ्र इसके निदान की व्यवस्था करनी चाहिये। कुष्ठ रोग के केन्द्रों में औषधियों का सम्भरण किया जाए और संक्रामक रोगों के जितने हस्पताल हैं, उनमें हालत को सुधारना चाहिये क्योंकि उनकी वर्तमान अवस्था शोचनीय है।

[डा० सारादीश राय]

तीसरी योजना के चौथे वर्ष के बाद भी डाक्टरों की कमी है। नगरों में ५००० के पीछे १ और गांवों में ५०००० के पीछे १ डाक्टर है। सिफारिश के बिना हस्पतालों में स्थान नहीं मिलता। गांवों में स्वास्थ्य इकाइयों की भी कमी है। अतः खण्डों में हस्पतालों की व्यवस्था होनी चाहिये। डाक्टरों की संख्या को बढ़ाने के लिये अधिक चिकित्सा कालेज खोलने चाहियें और चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था का विस्तार किया जाए। युवकों में गांवों में जाकर सेवा करने की भावना पैदा करनी चाहिये और उनको देश में रहने के लिये अनुकूल वातावरण होना चाहिये ताकि वे विदेशों में न जायें। चिकित्सा सम्बन्धी गवेषणा की सुविधाओं को भी बढ़ाया जाए। अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में सामान्य व्यक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, अतः स्थिति में सुधार होना चाहिये।

औषधों के नियंत्रण पर ध्यानपूर्वक विचार करने की जरूरत है। अधिनियम में पर्याप्त संशोधन किया जाये और राज्यों में पर्याप्त संख्या में विश्लेषण करने वाली प्रयोगशालाएं होनी चाहियें तथा राज्यों में निरीक्षण करने वाले कर्मचारियों की भी पर्याप्त संख्या में नियुक्ति की जानी चाहिये।

औषध निर्माण के विषय में विदेशी निर्माता देशी निर्माताओं को सहयोग दे रहे हैं। अतः विदेशी औषधों के एकस्व अधिकार देश में औषध निर्माण के मार्ग में बाधक हैं। हमें देश में बढ़िया औषधों का निर्माण करके स्वावलम्बी बनाना चाहिये। इसके लिए सरकार को सब प्रकार की सहायता देनी चाहिये।

सिंधूर ग्रामीण स्वास्थ्य इकाई में ८० कर्मचारी हैं। उनके वेतन बहुत कम हैं। हमें उनके वेतनों को बढ़ा कर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन के बराबर करना चाहिये।

डा० च० मा० सिंह (बिलासपुर) : स्वास्थ्य मंत्रालय का इस वर्ष का आयव्ययक गत वर्ष की अपेक्षा अलग है। इसमें ग्रामीण जनता के हित की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

अन्य देशों में डाक्टरों की संख्या भारत की अपेक्षा जनसंख्या के अनुपात में बहुत अधिक है। हम २००० जनसंख्या के पीछे १ डाक्टर चाहते हैं। परन्तु प्रगति बहुत धीमी है।

देश में चिकित्सा कालेजों और उनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या देश की जनसंख्या को देखते हुए बहुत कम हैं। अतः हमें मेडिकल कालेजों और मेडिकल छात्रों की संख्या को बढ़ाना चाहिये। देश के लोग व्वाणिज्य या उद्योगों में प्रशासन अधिकार बनने में अधिक रुचि लेते हैं और इंजीनियरी तथा डाक्टरी के व्यवसाय में कम आते हैं, क्योंकि इन व्यवसायों में उन्नति की गुंजाइश कम है। चिकित्सा अध्यापकों के वेतन-मानों में भी सुधार नहीं हुआ। योग्यता प्राप्त डाक्टरों और अनुभवी अध्यापकों की कमी बहुत है। इसलिये चिकित्सा अध्यापकों और डाक्टरों के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम आरम्भ किया जाए तथा प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी न होने पाये। उनके वेतनों में भी पर्याप्त वृद्धि करने की जरूरत है।

सरकार को चाहिये कि प्रति वर्ष ६० प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले स्नातकों को २५० रुपये मासिक छात्रवृत्ति देकर पुराने कालेजों में भेजे और वहां वे स्नातकोत्तर उपाधि लेने के साथ साथ अध्यापन कार्य का भी प्रशिक्षण प्राप्त करें। इस प्रकार करने से चिकित्सा अध्यापकों की कमी नहीं रहेगी।

पंजाब में चिकित्सकों को सर्वोत्तम वेतन-मान दिया जाता है। वही अन्य राज्यों में भी दिया जाए।

चिकित्सा कालेजों में छात्रों को बहुत खर्च करना पड़ता है, परन्तु थोड़े लोग ही पहली बार में पास होते हैं। इससे बड़ी हानि होती है। अत: अध्यापकों को इस पर ध्यान देना चाहिये।

स्वास्थ्य मंत्री को जनसंख्या में २.५० प्रतिशत वृद्धि के हिसाब से अपनी योजना बनानी चाहिए। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण ही पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य पूरे नहीं हो पाये। जन संख्या की इस वृद्धि को रोकने की बड़ी जरूरत है। गत १३ वर्षों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों की प्रगति और सफलता बड़ी असन्तोषजनक रही है। प्रति वर्ष ५ लाख लोगों को सन्तान उत्पन्न करने के अयोग्य बनाना चाहिये। परिवार नियोजन केन्द्रों के कार्य में भी पर्याप्त सुधार करने की जरूरत है। परिवार नियोजन पर इतना अधिक खर्च करने पर भी प्रगति ठीक नहीं। परिवार नियोजन के लिये उपयोगी चीजें सस्ते दामों पर मिलनी चाहिये। परिवार नियोजन केन्द्रों की स्थापना भी खुले दिल से करनी चाहिये। इस योजना में काम करने वाले लोग रुचि से काम नहीं करते और उपयोगी साहित्य का वितरण भी नहीं किया जाता। अत: इन सब बातों की ओर ध्यान देकर इस कार्यक्रम को तेजी से सफल बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

चिकित्सा कालेजों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है। मेडिकल कालेजों में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये मकानों की व्यवस्था होनी चाहिये और छात्रों तथा छात्राओं के लिये होस्टल होने चाहियें।

स्वास्थ्य इस समय राज्य सूची का विषय है। परन्तु इसके महत्व को देखते हुए इसे समवर्ती सूची में लाने की जरूरत है। चिकित्सा शिक्षा पर होने वाले भारी व्यय को कम करने के लिये देशी उपकरण का प्रयोग बढ़ाने की जरूरत है।

गांवों में चिकित्सा के कालेज खोले जाने चाहियें और उसका आधार यह होना चाहिये कि ५० लाख जनसंख्या के पीछे एक चिकित्सा कालेज अवश्य हो। गोरखपुर, झांसी, बरेली में नवीन चिकित्सा कालेज खोले जाने चाहियें। रायपुर तथा भिलाई के चिकित्सा कालेज ग्रामीण दृष्टिकोण को अपनाये हुए हों ताकि भिलाई के हस्पताल का उपयोग अध्ययन के लिये किया जा सके। माननीय मंत्री इसमें सहायता दें।

मध्य प्रदेश में कैंसर का रोग काफी बढा हुआ है, अत: सरकार को वहां इसके इलाज के लिये कम से कम एक कोबाल्ट-बीम थिरेपी इकाई स्थापित करनी चाहिये प्राथमिकता के आधार पर।

यूरोपियों द्वारा मलेरिया, प्लेग आदि भयानक बीमारियों के परिणामस्वरूप जीवन आयु बढ़ने की संभावना है। बुढापा, हृदय रोग, कैंसर आदि की बीमारियों के इलाज के लिये विशेष चिकित्सालय देश के भिन्न भिन्न भागों में खोले जाने चाहियें।

ग्रामीण जल संभरण की योजनाओं को यथाशीघ्र क्रियान्वित किया जाए क्योंकि तालाबों आदि का पानी पीने के लायक नहीं है। इस काम के लिये धन की कमी और स्वास्थ्य को राज्य का विषय कहने से काम नहीं चलेगा। ८२ प्रतिशत ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य की ओर केन्द्र को ध्यान देना चाहिये।

[डा० च० मा० सिंह]

आयुर्वेदिक तथा यूनानी एवं देशी चिकित्सा प्रणालियों के विकास की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया । हमें चाहिये कि सभी चिकित्सा प्रणालियों के तथा अच्छी औषधियों के सम्बन्ध में अनुसन्धान करके मानक भारतीय औषधियां बनाई जाए जिनका देश भर में उपयोग किया जाए ।

ग्रामीण चक्षु तथा सर्जिकल शिविरों की प्रथा को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये । केवल निर्धनता के कारण ग्रामीणों को अपनी आंखों को खतरे में नहीं डालने देना चाहिये । हमें हस्पतालों में पलंगों की संख्या बढा कर समस्या को हल करना चाहिये ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना बेकार साबित हुई है और इसके पास जमा धन का उपयोग नहीं होता । कर्मचारियों में असन्तोष है । दुर्घटनाओं आदि में कोई व्यवस्था नहीं । भ्रष्टाचार बढ़ रहा है । अतः इसकी जांच करनी चाहिये ।

Shri Rameshwara Nand (Karnal) : Good advisemen to live hundred years by putting an end to untimely death by observing control and science. Health means freedom from illness.

Crores of rupees have been spent on family planning, which is useless because by permitting uncontrolled sexual contacts, health of people goes down. previously people observed self control & Brahmcharya and maintained good health & longevity. We shall have to preach Brahmcharya in the Country. According to scriptures, only Brahmcharies were permitted to marry. So we should open Brahmcharya centre. Union of man and woman, without intention of producing children is sheer foolishness. The Science produced from good food should not be wasted, but should be preserved, which will make us brave.

Unless we control our senses, we cannot control others. So the king or administrator should observe Brahmcharya. Boys and girls should be kept separate from each other.

So long as our food is good, we shall be free from illness. The foodgrains imported from foreign countries are not worth human consumption. This affects health of people. We should also resort to exercise for keeping health. There should be sports institutions in every school and college, which are not there at present. We should also impart training in yogic Asans, which cure numerous diseases.

Yogic exercises including Pranayam are capable to cure fever, pains, cholera etc.

Govt. claims to have developed Ayurved. But only one Ayurvedic dispensary is found in twenty to twenty five villages, and there is scarcity of medicines. Good medicines are not supplied. So we should provide Indian medicines which suit in the climate of India.

Late Raj Kumari Amrit Kaur launched mass. B. C. G. vaccination. The T. B. is caused by the loss of minerals in human body. So I opposed that. We should not waste our money on such useless programmes.

Small pox vaccination is produced from calves and is imported from other countries costing us crores, of rupees. So we should utilise Indian medicines for checking small pox.

Ayurved trained people are paid less than aleopathic doctors. Two arguments were given for the difference, firstly that expenses on medical education are more, and doctors are more capable. But this is wrong, capability is judged from the treatment.

Eating of eggs & meat cannot be so useful for health as milk, fruit etc. are. When hen eats dirty things, how can eggs contain vitamins ? We should consume milk and Ghee. Coarse food is more useful for human body.

I, therefore, appeal that we should keep our traditions and should not blindly follow other countries in the matter of food only then our country will prosper.

Shri Mohan Nayak (Bhanjanagar) : The main cause of the recurrence of diseases in the country is the poverty and penuriousness that is prevalent. If the Government is serious about improving the health standard of the nation it must root out poverty.

Less medical aid is being given to Orissa comparatively. There we dont find doctors in various hospitals and dispensaries. It is the foremost duty of the Government to give more and more help to the poverty-stricken areas first. During the Third Plan a target of 307 health centres was fixed, out of which only 136 primary health centres have been set up so far, and even in 30 or 40 centres out of the established ones there are no doctors available. Then T. B. Clinics are not found there in adequate number. I found that there were 500 patients on the waiting list. There is no space available for such patients in Chandpur T. B. Hospital. For one and half crores of people there, there is only one hospital. I propose that T. B. Hospitals be set up in each district.

The scavengers in Bihar are dying of hunger. Nobody looks after their interests properly. They should be placed under one Department and not under two as at present. The problem of mechanisation of the methods of carrying refuge over the heads has not been solved as yet. In the scavenger colonies 20 to 30 per cent. of the people are suffering from skin diseases and 5 to 6 per cent of them are lepers. I propose that scavengers be examined every year in order to see that they are not suffering from any such diseases, like T. B. We are making plans for slum clearance but these scavenger colonies are greatest slums. Because we isolate the scavengers, they develop an inferiority complex. I also propose that scavenger colonies should not be allowed to grow in isolation. A few houses were built for the scavengers by Varampur Municipality but the scavengers refused to go there because the quarters were very small in size. Those quarters were rented out to some other people by the Municipality and even the rent recovered is not being spent for the welfare of the scavengers.

A homoepathic dispensary should be set up in each Panchayat area. Homoepathic system of treatment should be given encouragement. Central Homeopathic council should be set up in accordance with the recommendation of the Planning Commission.

Shri D. S. Patil (Yeotmal) : I want to say something regarding rural water supply and public health. Both the Planning commission as well as the Central Government have ignored the problem of rural water supply Congress had said in her election manifesto that drinking water shall be made universal in the rural areas within a limited time. But in spite of that little attention

[Shri D. S. Patil]

has been given to this problem. There was a scheme to establish an expert enquiry Commission to study the problem of water in the States. Planning Commission also suggested that a survey in this respect be undertaken. We are in the third year of the Third Plan, yet the survey is not complete. The special Investigation Divisions for Rural water supply have not been formed in so many states yet. In the year 1963, the Drinking Water Board made a number of recommendations on which no action has yet been taken. It had suggested that various schemes for drinking water should be pooled together and then it should be seen how the state Governments could implement them. It is clear from the Reports of the States that lakhs of rupees have lapsed in this connection. The Board had also suggested that water should first be provided in the scarcity areas that there should be a Drinking water Board in each State, that Central Public Health Engineering Research Insitute should be established at Nagpur. But no action has yet been taken on these recommendations.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार २ अप्रैल, १९६४/चैत्र १३, १८८६ शक ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई) ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, and April, 1964/Chaitra 13, 1886 (Saka).

GMGIPND—LSIII—364(ai)L.S·D—18-6-64 600